राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 03] पन्द्रहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का दूसरा दिवस [संख्या: 02

शुक्रवार,

29 नवम्बर 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

रतनाराम चौधरी, श्री, पूर्व सदस्य

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रतनाराम चौधरी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्य श्री रतनाराम चौधरी का जन्म 15 मई, 1933 को हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री रतनाराम चौधरी 6ठी, 7वीं, 9वीं तथा 11वीं राजस्थान विधान सभा में रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप 6ठी विधान सभा में कांग्रेस, 7वीं तथा 9वीं में कांग्रेस (आई) तथा 11वीं विधान सभा में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक थे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति, नियम समिति तथा कृषि, भेड़ एवं ऊन, मत्स्य और सैन्य कल्याण विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री चौधरी लगभग बीस वर्षों तक ग्राम पंचायत गांग के सरपंच रहे। आप पंचायत समिति रानीवाड़ा के उप प्रधान भी रहे। गरीब, मजदूर तथा किसानों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री चौधरी राजस्थान भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे। आप सूखा संभाव्य क्षेत्र परियोजना क्रियान्वयन समिति, जालौर के सदस्य भी रहे।

श्री रतनाराम चौधरी का दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से

(श्री अध्यक्ष)

दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री रतनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री सचिन पायलट।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

पंचायती राज विभाग

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2019/648 दिनांक 3.7.2019 जिसके द्वारा पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत सर्किल की जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या का निर्धारण किया गया है ; एवं

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2019/649 दिनांक 3.7.2019 जिसके द्वारा पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों की जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या का निर्धारण किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री।

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त विभाग की 41 तथा आबकारी विभाग की 5 निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.5(18)वित्त/कर/2015-50 दिनांक 06.8.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(2) अधिसूचना संख्या: प.2(38)वित्त/कर/2018-51 दिनांक 06.8.2019 जिसके द्वारा राजस्थान पुलिस हाउसिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आवंटित शेयर सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया गया है ;

(3) अधिसूचना संख्या: प.2(27)वित्त/कर/2009-52 दिनांक 06.8.2019 जिसके द्वारा राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;

(4) अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-53 दिनांक 20.8.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12 (46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-06 दिनांक 23.4.2019 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(5) अधिसूचना संख्या: प.12(161)वित्त/कर/2009-54 दिनांक 21.8.2019 जिसके द्वारा उत्तर-पश्चिम रेलवे द्वारा डीजल की खरीद पर वैट की दर में कमी की गयी है ;

(6) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-55 दिनांक 27.8.2019 जिसके द्वारा राजस्थान गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (सिक्स्थ रिमूवल आफ डिफिकल्टीज) आर्डर, 2019 जारी किये गये हैं ;

(7) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-56 दिनांक 30.8.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-169 दिनांक 29.3.2019 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है ;

(8) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-57 दिनांक 2.9.2019 जिसके द्वारा जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक भरी जाने वाली घोषणा फार्म आईटीसी-04 को प्रस्तुत करने के संबंध में छूट प्रदान की गयी है ;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(9) अधिसूचना संख्या: प.12(161)वित्त/कर/2009-58 दिनांक 16.9.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(161)वित्त/कर/2009-54 दिनांक 21.8.2019 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है ;

(10) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-59 दिनांक 30.9.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2019 के नियम-10, 11, 12 एवं 26 को लागू किया गया है ;

(11) अधिसूचना संख्या:प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-60 दिनांक 30.9.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(12) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-61 दिनांक 30.9.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-41 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(13) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-62 दिनांक 30.9.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-42 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(14) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-63 दिनांक 30.9.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-137 दिनांक 31.12.2018 में संशोधन किया गया है ;

(15) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-64 दिनांक 30.9.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-165 दिनांक 7.3.2019 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(16) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-65 दिनांक 30.9.2019 जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) को माल की आपूर्ति में छूट प्रदान की गयी है ;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(17) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-66 दिनांक 30.9.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-II-167 दिनांक 7.3.2019 में संशोधन किया गया है ;

(18) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-67 दिनांक 30.9.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(19) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-68 दिनांक 30.9.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(20) अधिसूचना संख्या:प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-69 दिनांक 30.9.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-51 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(21) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-70 दिनांक 30.9.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-II-169 दिनांक 25.1.2018 में संशोधन किया गया है ;

(22) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-71 दिनांक 30.9.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-173 दिनांक 29.3.2019 में संशोधन किया गया है ;

(23) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-72 दिनांक 30.9.2019 जिसके द्वारा शराब के लाइसेंस शुल्क तथा आवेदन-पत्र शुल्क को माल एवं सेवा कर के दायरे में नहीं माना गया है ;

(24) अधिसूचना संख्या: प.15(2)वित्त/कर/2017-73 दिनांक 9.10.2019 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को ग्राम पलाना, जिला बीकानेर स्थित भूमि पर देय भूमि कर में माफी प्रदान की गयी है ;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(25) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-74 दिनांक 10.10.2019 जिसके द्वारा 1.5 करोड़ रुपये तक की बिक्री करने वाले पंजीकृत व्यवहारियों को अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 की अवधि के लिए त्रैमासिक फार्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने के संबंध में तिथि निर्धारित की गयी है ;

(26) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-75 दिनांक 10.10.2019 जिसके द्वारा 2 करोड़ रुपये तक की बिक्री करने वाले पंजीकृत व्यवहारियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में तिथि निर्धारित की गयी है ;

(27) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-76 दिनांक 10.10.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;

(28) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-77 दिनांक 10.10.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-67 दिनांक 30.9.2019 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है ;

(29) अधिसूचना संख्या: प.2(42)वित्त/कर/2009-79 दिनांक 14.10.2019 जिसके द्वारा आरवीपीएनएल/आरआरवीवीएनएल/डिस्काम को आंवटित एवं क्रय की गयी भूमि पर देय मुद्रांक शुल्क में छूट प्रदान की गयी है ;

(30) अधिसूचना संख्या: प.12(97)वित्त/कर/2017पार्ट-I-80 दिनांक 15.10.2019 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

(31) अधिसूचना संख्या: प.12(97)वित्त/कर/2017पार्ट-I-81 दिनांक 15.10.2019 जिसके द्वारा राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम-17-ए के तहत आवेदन न करने वाले बिल्डर एवं डवलपर्स हेतु एकमुश्त राशि जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है ;

(32) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-82 दिनांक 25.10.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-05 दिनांक 23.4.2019 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(33) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-84 दिनांक 15.11.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;

(34) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-85 दिनांक 15.11.2019 जिसके द्वारा कतिपय पंजीकृत व्यवहारियों हेतु वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए भरी जाने वाली वार्षिक विवरणी की तिथि निर्धारित की गयी है ;

(35) अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-86 दिनांक 15.11.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-76 दिनांक 10.10.2019 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है ;

(36) अधिसूचना संख्या: प.6(2)वित्त/कर/2019-87 दिनांक 19.11.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(11)वित्त/कर/2013-117 दिनांक 6.3.2013 का प्रत्याहरण किया गया है ;

(37) अधिसूचना संख्या: प.6(2)वित्त/कर/2019-88 दिनांक 19.11.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(28)वित्त/कर/2007-159 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) का अधिक्रमण (Supersession) किया गया है ;

(38) अधिसूचना संख्या: प.2(23)वित्त/कर/2019-89 दिनांक 19.11.2019 जिसके द्वारा एनर्जी एफिसियेंसी सर्विसेज लिमिटेड को स्मार्ट मीटर हेतु सम्पादित वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट पर मुद्रांक शुल्क में छूट प्रदान की गयी है ;

(39) अधिसूचना संख्या: प.4(15)वित्त/कर/2014-90 दिनांक 21.11.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.4(15)वित्त/कर/2014-52 दिनांक 14.7.2014 को निरस्त किया गया है ;

(40) अधिसूचना संख्या: प.4(15)वित्त/कर/2014-91 दिनांक 21.11.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ; एवं

(41) अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-92 दिनांक 22.11.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आबकारी विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 5.8.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(62)वित्त/आब/96 दिनांक 31.3.97 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2012/पार्ट-1 दिनांक 23.9.2019 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेन्सेज) रूल्स, 1973 में संशोधन किया गया है ;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.4(10)वित्त/आब/2018 दिनांक 16.10.2019 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.4(10)वित्त/आब/2018 दिनांक 16.10.2019 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेन्सेज) रूल्स, 1973 में संशोधन किया गया है ; एवं

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.4(10)वित्त/आब/2018 दिनांक 16.10.2019 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट आफ रेस्टोरेंट, बार लाइसेन्सेज) रूल्स, 2004 में संशोधन किया गया है ।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल, उद्योग मंत्री।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक/अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

(I) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन ; एवं

सांभर साल्ट लिमिटेड का 53वां प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18)

(II) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत सांभर साल्ट लिमिटेड का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18.

श्री अध्यक्ष: मास्टर भंवर लाल मेघवाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री।

आयुक्तालय विशेष योग्यजन, राजस्थान का प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-65 के अन्तर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री लालचन्द कटारिया, कृषि मंत्री।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 61वां प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा-31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 61वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: भारत के संविधान तथा मूल कर्तव्यों पर अग्रेतर विचार। श्री गुलाब चन्द कटारिया, नेता प्रतिपक्ष।

विभिन्न विषयों पर विचार

भारत के संविधान तथा मूल कर्तव्यों पर विचार

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आज की इस ऐतिहासिक चर्चा पर आपने और मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान के हम सब जन प्रतिनिधियों को इस संविधान दिवस पर संविधान पर भी, इसके पूर्व के कार्यकाल पर, इसमें रही कमियां और भविष्य में होने वाले सुधार के बारे में कुछ चर्चा राजस्थान की इस विधान सभा में रखी, इसके लिए मैं आपको और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की चर्चा हुई है। मैं सोचता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत को करने से पहले हमको अपना दिल और दिमाग केवल देश पर केन्द्रित करना चाहिए। व्यवस्था के सुधार के लिए क्या प्रयत्न किया जाए, इसको मेन बिन्दु पर रखकर अगर चर्चा करेंगे तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
चर्चा सार्थक भी होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह माइल स्टोन का काम करेगी, इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि कमियां-खामियां अगर कोई संवैधानिक हुई हैं तो उस पर चर्चा करना हम सबका अधिकार है, उस पर आप जरूर करें, लेकिन केवल उसको आधार बनाकर इधर-उधर की बात करना, मैं सोचता हूं कि इस संविधान दिवस पर इस प्रकार की बात करना देश के हित में नहीं रहेगा, लोकतंत्र के हित में नहीं रहेगा। कृपा करके इसको सीमित करने का प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस देश की आजादी के लिए 1857 से जिन लोगों ने संघर्ष किया और जिन परिस्थितियों में किया, आपके और मेरे लिए बार-बार उस पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। मंगल पाण्डे से शुरुआत करने के बाद तांत्या टोपे हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, ऐसे लोगों ने देश की स्वाधीनता की उस मन की कसक को जनता के बीच में लाने का जो प्रयत्न किया, पता नहीं देश के कितने जाने-अनजाने लोगों ने अपना सर्वस्व देने का प्रयत्न किया। कुछ लोग फांसी के तख्ते पर चढ़े होंगे, कुछ ने गोली खाई होगी, लंबे समय तक जेल की यातनाएं भुगती होंगी, लेकिन मन का एक संकल्प था कि मेरा देश आजाद होगा। दो-दो जन्म का कारावास भुगतने वाला वीर सावरकर अण्डमान की जेल में भी यही सपना संजोये बैठा रहता था कि कभी न कभी मेरा देश आजाद होगा और आजाद देश में मेरा देश और देशवासी तरक्की करेंगे। उन सब महापुरुषों को जिन्होंने आजादी के उस शुरुआती अभियान में जो प्रयास शुरू किया और उसके बाद देश की आजादी में महात्मा गांधी से लेकर, जवाहर लाल जी से लेकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, चाहे सरदार पटेल हो, इन सब लोगों को आज के दिन हम जिस वातावरण में बैठे हैं और जिस आनन्द का अनुभव कर रहे हैं, इस आनन्द के अनुभव में उन सब लोगों के लिए अपने शरीर का तिल-तिल जलाना और शरीर का सर्वस्व देकर भी देश की आजादी के स्वप्न को साकार करने का जिन्होंने प्रयत्न किया, उनके प्रति हम और हमारा सम्पूर्ण सदन बहुत नतमस्तक होकर उनको इस बात के लिए कि आपके दिखाये हुए रास्ते को हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

आपको और मुझे सबको पता है कि आजादी के समय और गुलामी के समय इस देश की स्थिति क्या थी। आर्थिक दृष्टि से जो विपन्नता थी, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई थी, देश में संसाधनों का जिस प्रकार से अभाव था, पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, खाने का अनाज उपलब्ध नहीं था

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और अस्पृश्यता ने तो इस देश को जकड़ रखा था। किसी की परछाई पड़ जाती तो भी घर जाकर स्नान करना पड़ता था। इन सारी विपरीत परिस्थितियों में देश ने आजादी प्राप्त की और उस आजादी के सत्तर साल के बाद आज हम जिस ताज पर हैं, उसके लिए अगर कोई मेरुदण्ड का काम किसी ने किया तो इस संविधान ने किया। सच में हम सबको उन महान व्यक्तित्व को बार-बार याद करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। देश की उन सारी विपरीत परिस्थितियों में मैं सोचता हूं कि उसकी कल्पना करें तो रूह कांपने लग जाती है। शरीर में एक तरह से लगता है कि हम कहां से कहां तक आये हैं और उसमें किसी प्रकार की हिंसा इस देश में नहीं हुई। किसी प्रकार का कोई असंतोष जाहिर नहीं हुआ। हर व्यक्ति ने इसको स्वीकार करते हुए देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सच में आजादी के उन सब लोगों को हम बार-बार नमन करते हैं। हम बार-बार इस बात का ध्यान रखें कि आजादी के पूर्व इस देश की स्थिति क्या थी? आजाद हुआ उस समय देश कहां था? विभाजन की त्रासदी तो हमने भुगती थी और एक वैमनस्य सम्पूर्ण देश में आ चुका था। सम्पूर्ण देश में अस्थिरता थी। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा और उसके बाद एक का दूसरे की ओर पलायन करना, जो नरसंहार का नाटक इस देश ने देखा, उन सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, मन में कटुता के बाद भी इन महान संविधान निर्माताओं के कारण से शांति, अमन-चैन और उसके साथ ही देश आगे बढ़ने के रास्ते पर आया। सच में उन संविधान निर्माताओं के उस योगदान को यह देश आज नहीं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक नहीं भूलेगा जिन्होंने वास्तव में इन विपरीत परिस्थितियों में भी देश को निकालकर सही रास्ते पर डालने का एक कानूनी प्रावधान और संविधान के आधार पर देश को मोड़ने का एक सफलतम प्रयोग किया। आज 70 वर्ष के बाद आप और मैं यह कह सकते हैं कि जहां आज हम हैं, उन व्यक्तियों की उस सोच व उस दस्तावेज के कारण से हम यहां तक पहुंचे हैं।

संविधान सभा के गठन की पहली मीटिंग दिसम्बर, 1946 में हुई। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी को उसकी जिम्मेदारी दी गयी। उन्होंने विभिन्न प्रकार की 17 कमेटियां बनाकर अलग-अलग विषय अलग-अलग कमेटी को देकर सम्पूर्ण देश के सब प्रकार के लोगों को इस बनने वाले संविधान के मसौदे के बारे में अपनी-अपनी राय, अपने-अपने विचार, अपने-अपने क्षेत्र की परिस्थितियां, सभी प्रकार की जाति, सम्प्रदाय, सभी प्रकार के धर्मों के लोगों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की राय लेकर इस मसौदे को तैयार करने का प्रयत्न किया। इस मसौदे को तैयार करने में जितना समय लगा वह वास्तव में तीन वर्ष के आस पास है। यह सारा होने के बाद आपने देखा कि देश में जैसे ही हमें आजादी प्राप्त हुई, यद्यपि आज हम जब 70 साल मना रहे हैं, जब 26 नवम्बर, 1949 को मसौदा तैयार होकर उस पर दस्तखत हुए थे उसको आधार मानकर, लेकिन देश में जो गणराज्य की स्थापना हुई वह हमने 26 जनवरी, 1950 को, उसका भी एक ऐतिहासिक कारण था, क्योंकि 26 जनवरी, 1930 में रावी के तट पर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में यह घोषणा की थी कि सम्पूर्ण स्वराज्य हम प्राप्त करेंगे। उसकी जो शपथ हुई थी, उस शपथ के ऐतिहासिक दिन को इस संविधान के डाकूमेंट के साथ जोड़ने के लिए हमने इसको 26 जनवरी, 1950 को स्वीकार किया। उसके पीछे जो ऐतिहासिक कारण था उस कारण से हमने इस डाकूमेंट को स्वीकार किया। उस समय जो कुछ भी था, उस काम में लगभग 165 दिन तक इसकी बैठक चली। 114 दिन तक जो ड्राफ्ट का काम दिया था, वह अंबेडकर जी को दिया था। जो कुछ भी मैटेरियल इकट्ठा हुआ उसको लेखबद्ध करने का काम, जो सबसे कठिन था, उस चुनौतीपूर्ण काम को उस व्यक्ति ने किया और उसके कारण से देश आज भी उसके प्रति बहुत ही नतमस्तक है। उस व्यक्ति ने जिस प्रकार का डाकूमेंट तैयार किया और देश का क्या सौभाग्य है कि वह सारा हस्तलिखित है। सारा का सारा डाकूमेंट हस्तलिखित है। इतने सुंदर अक्षरों में है और उसमें किसी भी प्रकार की एक त्रुटि नहीं है। आज भी वह डाकूमेंट पड़ा है, उस व्यक्ति के प्रति देश बहुत कृतज्ञ है कि उसने अपनी हस्तलिपि से इतना बड़ा डाकूमेंट जो लगभग 13 किलो वज़न का है, तैयार करके इस देश को सुपुर्द किया। आप और हम भाग्यशाली हैं कि उन सब लोगों के कारण से हम यहां तक पहुंचे हैं।

इस संविधान में जिन मूल अधिकारों को दिया, उसके कारण से इस देश में सभी प्रकार की जाति, धर्म, लिंग, भेद सबको मिटाकर सम्पूर्ण देश को एक व्यक्ति की तरह से यह समझकर कि यह 115 या 120 करोड़ नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति हिन्दुस्तान है, इसको मानकर कानून की रचना की। समानता के अधिकार में अभिव्यक्ति का अधिकार दिया, अस्पृश्यता को आपने और मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमने अपना बचपन भी देखा है। यह अस्पृश्यता इस देश की दुश्मन थी। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन का अधिकांश जीवन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी बात पर लगाया था कि इस बुराई का अंत कब होगा, कैसे होगा? व्यक्ति के मन में देश और सम्पूर्ण समाज का देखने का दृष्टिकोण कब बदलेगा, इसके लिए प्रयत्न किया। आप और हम सब लोग जो यहां बैठे हैं, जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि गुलाब चन्द कटारिया देलवाड़ा में पैदा होने वाला इस विधान सभा सत्र में इतनी बार यहां आ सकता है। इस संविधान की बदौलत हैं जिसके कारण से सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब व्यक्ति का योगदान भी इस लोकतंत्र में होगा। उसके बाद 73वें और 74वें संशोधन के बाद पंचायती राज में जिस प्रकार से लोगों का इन्वाल्वमेंट हुआ, सभी प्रकार के लोगों को मिलाकर पंचायती राज को सशक्त किया। हमारा राजस्थान सौभाग्यशाली है कि 1959 में नेहरू जी ने पंचायती राज का शुभारंभ नागौर, राजस्थान से किया। उस पंचायती राज के कारण से आज हम यह कह सकते हैं कि गांव के उस गरीब की बेटी को भी उस जाजम पर बैठने का अधिकार मिला जिसके भाग्य में कभी वहां लिखा ही नहीं था। हमेशा उसके लिए जहां जूतियां खुली रहती थीं वहां बैठकर वह सारा दृश्य देखती थी, उस समय उसको कितनी पीड़ा होती थी लेकिन लोकतंत्र के इस डाकूमेंट ने, इस संविधान ने इस प्रकार की ताकत दी कि सम्पूर्ण समाज के छोटे और बड़ों को बराबरी में लाकर उनके अधिकारों के साथ खड़ा करने का प्रयास किया। हमने नागरिकता, पंथ निरपेक्षता और संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी विशेष प्रोविजन करके हमने देश विभाजन के समय, मन में भारी कटुताएं हो सकती थीं लेकिन उसके बाद भी इस संविधान के डाकूमेंट के आधार पर इतनी बड़ी संख्या में रहने वाले उस वर्ग को भी लोगों ने आत्मसात किया और आत्मसात करके देश के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया।

इसमें चुनाव की प्रक्रिया दी है। अगर इस संविधान की सबसे बड़ी कोई आत्मा है तो यहां का लोकतांत्रिक चुनाव है। मैं सोचता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसमें इतने चुनाव हुए सरकारें आईं और चली गयीं। एक मिनट में अटल बिहारी जी एक वोट से हार कर त्याग पत्र देकर चले जाते हैं, कोई खून-खराबा नहीं होता है, कोई विरोध नहीं होता है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है। 1977 में इंदिरा जी गयीं, उनका लड़का भी हार गया होगा, लेकिन सबने इस संविधान की व्यवस्था को स्वीकार कर सर माथे पर रख कर देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। यह इस डाकूमेंट की विशेषताएं हैं। समाज में आरक्षण देने की भी व्यवस्था की। समाज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में इस पड़ी हुई खाई को कैसे पूरा किया जाए, इसलिए उस कमजोर वर्ग को भी आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसी प्रोविजन के कारण से आपने देखा होगा कि ओबीसी को भी आरक्षण इसी संविधान के प्रावधान के तहत दिया गया। अबकी बार देश के प्रधान मंत्री ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण देकर उनको सबके बराबर लाने का प्रयत्न किया। यह क्यों हो सका? यह इस डाकूमेंट की उन धाराओं के कारण जो शक्तियां हमें उपलब्ध थीं, इस प्रकार का परिवर्तन और संशोधन करने का हमको अधिकार दिया था, उनका उपयोग करते हुए हमने इसका पालन किया और हम इस देश को यहां तक पहुंचा पाए। इस देश ने कितनी ही बड़ी आपदाएं झेलीं लेकिन यह देश इस संविधान की ताकत के कारण से कभी भी डिगा नहीं, हिला नहीं। आपने देखा होगा, देश की आजादी के साथ कबालियों का आक्रमण कश्मीर पर होना और हिन्दुस्तान की फौजों ने उसको खदेड़कर जम्मू-कश्मीर के इस हिस्से को बचाने का जो प्रयत्न किया, वह भी इसी में है। 1965 का युद्ध इस हिन्दुस्तान ने भुगता। 1971 का युद्ध जिसमें हमने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास किया। देश के उस समय की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी हाउस में बोलते हुए कहते हैं कि वास्तव में इंदिरा दुर्गा के रूप में है जिसने देश को यह सम्मान दिया। हमने छोटा मन नहीं रखा। इस प्रकार जब देश को किसी से ताकत मिलती है तो छोटे मन से सोचकर आलोचना करने से देश आगे नहीं बढ़ता है। हमने उनकी महानता को देखा, लेकिन आपातकाल भी हमने भुगता। आपने आपातकाल में देखा होगा कि एक कोर्ट के फैसले से अयोग्य घोषित होने के बाद सम्पूर्ण हिन्दुस्तान को जेल खाना बना दिया। हमने न कोई जुर्म किया था, न कोई अपराध किया था, लेकिन हमको उन धाराओं में डालकर 18-18 महीनों तक जेल में डाले रखा। 18 महीने की जेल भुगतने के बाद इस देश की जनता ने उस अमेंडमेंट को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंककर बताया कि हिन्दुस्तान की जनता महान है। कोई भी सरकार चाहे जिस ढंग से इसका दुरुपयोग नहीं कर सकती। वास्तव में, इस देश की जनता की महानता है, उसने इस प्रकार के कानून को तोड़कर फेंका और उसके कारण आगे वालों को भी सबक मिला कि अपनी मनमर्जी से चाहे जो नहीं कर सकते हो। आपको अधिक से अधिक पांच साल का अधिकार है। आप अपने आपमें अभिमान कर लो, कितना भी घमंड कर लो, लेकिन दुबारा आपको उस जनता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के बीच में जाना ही पड़ेगा और जनता स्वीकार करेगी तो लौटकर इस विधान सभा में आना, नहीं तो अपने गांव चले जाना। लोकतंत्र की इससे अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है? मैं सोचता हूं कि कोई भी व्यक्ति कितना ही पावरफुल हो, कोई भी पार्टी कितनी ही पावरफुल हो, लेकिन उसे जनता के मेंडेट को लेना ही पड़ेगा। संविधान की रचना के समय उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इसको रखा, हमने उसको देखा।

हमने कई बाढ़ देखीं, अकाल देखे और ऐसे अकाल भयानक देखे। हमारे देश में अन्न की शोर्टेज के कारण हमने लाल ज्वार खाकर दिन निकाले हैं। इस देश के सामने एक चुनौती थोड़े ही थी, हजारों चुनौतियां थीं। 1965 के युद्ध में अमेरिका ने लाल बहादुर शास्त्री के सामने संकट लाकर खड़ा कर दिया कि आप जीता हुआ भाग लौटाओ, नहीं तो मैं आपका अनाज बंद करता हूं। उस व्यक्ति ने, जो कद का भले ही छोटा होगा, लेकिन वह देश का स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसने कहा कि अनाज बंद कर दे, कोई चिंता की बात नहीं है, पर जीता हुआ हिस्सा वापस नहीं दूंगा। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने देखा कि इस देश में सबसे बड़ा संकट अनाज है। हमारे यहां औद्योगिक क्रांति के साथ कृषि क्रांति हुई और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम स्वयं का ही पेट नहीं भरते हैं, हम अपने अनाज दूसरे देशों को भी सप्लाई करते हैं। हम अपने देश के अन्न भंडार को जानते हैं। इस देश की अस्थिरता को आपने और हमने देखा। जब से गठबंधन सरकारें बननी शुरू हुईं 1989 से लेकर लगातार गठबंधन सरकार के कारण लोकतंत्र में कमजोरी जरूर आई और उसके कारण परिस्थितियां कई बार उलटफेर में चलती रहीं, लेकिन ठीक प्रकार से चलता रहा।

बम विस्फोट इस देश में एक तमाशा बने हुए थे। रोज कहीं न कहीं, कभी जयपुर में फटते थे, कभी अजमेर की दरगाह में फटते थे, कभी किसी रेलवे स्टेशन पर बम फटता था, कभी किसी मस्जिद में फटता था, लेकिन इस त्रासदी को भी हमने भुगतते हुए देश को इतना मजबूत किया कि पिछले लंबे समय से, पिछले पांच-छह साल से एक भी बम विस्फोट नहीं होना हिन्दुस्तान के लोकतंत्र की ताकत है।

आपने देखा होगा। जब हम रोज उठकर एक घोटाला अख़बार में देखते थे। कोई 2जी का घोटाला हो जाता, कोई शक्कर खा गया, कोई यूरिया खा गया, कोई घास खा गया और कोई क्या खा गया, यह देश का दुर्भाग्य है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं ट्रेन में जा रहा था। एक छोटा बच्चा था। मैं आज अपने दुःखी मन से कह रहा हूं कि मेरे सफेद कपड़ों के कारण, मैंने धोती और झब्बे के अलावा कुछ पहना नहीं था। पांच साल का बच्चा मां की गोद में था, वह मुझे नेता समझकर इशारा करके कि चोर बैठा है। मैं चोर नहीं था, लेकिन हमारी जो ड्रैस थी, उस ड्रैस ने अपने आपको इतना नीचे गिरा दिया कि जन चर्चा का विषय हो गया कि इस देश का राजनेता क्या कर रहा है? यह देश का राजनेता कहां जा रहा है। इस लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहता है। उस त्रासदी से हमारा देश निकला है।

आतंकवाद ने इस देश को जलाकर कितना खाक किया। आप भले ही कितने ही अच्छे तर्क दे देना लेकिन अकेले जम्मू-कश्मीर में, हिन्दुस्तान के तिरंगे झंडे को जूते के नीचे रगड़ना जिनका शौक बन गया था, हमारे फौजियों पर पत्थर फेंकना जिनकी आदत बन चुकी थी। केवल अकेले जम्मू-कश्मीर में 42 हजार 8 सौ लोग इन आतंकवादियों के हाथों मौत के घाट उतारे गये। इन सबसे भी देश निकला है। इन सारी परिस्थितियों से भी देश ने निकलने का प्रयास किया है। इस देश का सौभाग्य है कि सात दशकों में कई सरकारें आयीं और कई गयीं, कभी कांग्रेस की बनी होगी, कोई समर्थित बनी होगी, किसी के सहयोग से बनी होगी या हमारी बनी होगी लेकिन इस देश के लोकतंत्र ने इस संविधान की सुदृढ़ता के कारण हमारी न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, इनको भी हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन सब परिस्थितियों में से देश को निकालने का एक आश्चर्यजनक काम हुआ, उसके कारण की जड़ में अगर कोई है तो इस संविधान के द्वारा निर्मित वे सारे कानून हैं, जिसके कारण से यह हुआ है। इन सात दशकों में चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे हमारी सरकार रही हो, हमने देश को विकास के रास्ते पर अग्रसर किया है। यह कोई नहीं कह सकता कि इसने नहीं किया या उसने नहीं किया। कम ज्यादा हो सकता है, अधिकतम हो सकता है। उनके काम में अंतर हो सकता है, लेकिन इस सारी त्रासदी में जिस तरीके से भुगतकर चल रहे थे, उसमें हम सुदृढ़ता लाए हैं। इसमें विकास का कार्य किया।

आपने देखा होगा आज की तारीख में हमारा जो रेलवे का नेटवर्क है, वह कितना सुदृढ़ हुआ है। आप और हम जब कभी दिल्ली जाते थे, एक गाड़ी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

थी चेतक, उसी से ही जाते थे। आज गाड़ियां जाती हैं, चाहे वह जलपाईगुड़ी से निकली हो, उसके बाद भी जयपुर रेलवे स्टेशन पर पांच-दस मिनट के अंतर से वह गाड़ी कवर कर जाती है। पहले रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठने से पहले नाक सिकोड़कर दूर जाकर खड़े रहते थे, लेकिन इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था से आज सारे रेलवे स्टेशन इतने साफ-सुथरे दिखायी देते हैं कि शायद आपका और मेरा घर भी उतना साफ-सुथरा नहीं होगा। इसका मतलब देश ने इस ओर अपने आपको आगे बढ़ाया है। इस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा तक जाकर अपनी पहुंच बनायी है। यह इस देश के विकास का ही मापदंड है। राष्ट्रीय राजमार्गों की दृष्टि से भी हमने काफी तरक्की की है। अब आपको अटपटा लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पिछले पांच सालों में 60 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाकर रिकार्ड कायम किया है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है। आप अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से पूछ लेना अगर वास्तव में देश के आंकड़े उनके पास हों तो। 60 हजार किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनना कोई सामान्य खेल-तमाशा नहीं है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं।

राइट-टू-एजुकेशन दिया, वह आपकी सरकार ने दिया। उसके कारण से बच्चे को आगे बढ़ने का रास्ता मिला। हमारे नीति-निर्देशक तत्वों में था, उसको आपने टच करते हुए, एजुकेशन का राइट देकर हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ा। नरेगा के माध्यम से आपने रोजगार देने का काम किया। फूड सिक्योरिटी के तहत आपने उसको देने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं सरकारें इधर आएंगी, उधर जाएंगी, लेकिन ये कुछ ऐसे माइल स्टोन के काम हुए हैं जो इसी लोकतंत्र की व्यवस्था में से हुए हैं। एक भारत, श्रेष्ठ भारत। देश में एकता व अखण्डता अक्षुण्ण व कायम रही है। देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विविधताओं के बावजूद एकता है। हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, कितनी वेशभूषाएं हैं, कितने खाने हैं, कितनी पद्धतियां हैं, इतनी भिन्नता में भी अगर देश को एक इकाई के रूप में बांध दिया तो वास्तव में उन महापुरुषों को नमन करना चाहिए। कुटिलता के कारण से अंग्रेज हमको ऐसी आजादी दे गये थे, यह सोचकर गये थे कि आपस में लड़ मरेंगे और खतम हो जाएंगे। उसके बाद इतनी रियासतें होने के बाद मैं सरदार पटेल को आज भी नमन करता हूं, देश नमन करता है कि सारी रियासतों को एक कर हिन्दुस्तान को एक इकाई के रूप में बांधा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(11.28 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

आज हम जिस भारत के दर्शन कर रहे हैं, कितने वर्षों के बाद आपका और मेरा यह सौभाग्य हुआ कि सम्पूर्ण भारत एक इकाई के रूप में दिखाई देता है। इसका श्रेय उन लोगों को जाता है, जिन्होंने प्रयत्न किया।

नेहरू जी के जिम्मे एक समस्या छोड़ी थी, वह थी कश्मीर समस्या। वह कश्मीर की समस्या कितनी उलझी और उसने कितना देश का धन बर्बाद किया। अकेले कश्मीर को पालने के लिए हमने 2 लाख 72 हजार करोड़ रुपया व्यय किया। उसके बाद भी उसको.. हिन्दुस्तान के तिरंगे झंडे को जलाना उनका शौक बन गया था। हिन्दुस्तान का तिरंगा लहराने के लिए, कन्याकुमारी से हमारे मुरली मनोहर जोशी को झण्डा फहराने के लिए लाल चौक पर आंदोलन करना पड़े। इन सारी परिस्थितियों को देखकर आपको थोड़ा तो लगता होगा कि आखिर ये 370 या 35 का क्या कठिन काम था? केवल टैम्परेरी धारा थी। आपने उस समय अपने साथ जोड़ने के लिए सोचा होगा कि हो सकता शायद वे इससे जुड़ जाएं, लेकिन वह टेम्परेरी धारा 72 साल तक रह जाए, आप 55 साल दिल्ली में राज करो और उसके बाद इस छोटी-सी बात को पूरी करने की आपने हिम्मत नहीं की। कारण क्या कि ये उलझा रहेगा तो कम से कम वोटों की खेती पकती रहेगी, इसलिए यह उलझा रहे। इस देश के प्रधान मंत्री को सारा देश धन्यवाद देता है कि 72 साल की समस्या को 48 घंटे में तोड़कर फेंक दिया, न कहीं बम चला, न कोई गोली चली, न कोई अश्रु गैस हुआ, न कहीं किसी की हत्या हुई। क्या इसको भी हम नहीं मानते कि वास्तव में उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया? मैं सोचता हूं कि यह देश का सौभाग्य है कि हम नेशन फर्स्ट की जो बात कहते हैं, उस नेशन फर्स्ट की बात ही नहीं की, लोगों के गले उतारने का प्रयत्न किया। आप थोड़ी-सी कल्पना कीजिए। आप आलोचना कर सकते हैं लेकिन इस देश के प्रधान मंत्री ने जनता से अपील की थी नेशन फर्स्ट। इस बात को लोगों के दिलों में उतारने का प्रयास किया। उतारने का सफलता का आधार क्या बना? आपने देखा कि इस हिन्दुस्तान के एक करोड़ लोगों ने गैस सब्सिडी जो उनको मिलती थी, वह छोड़ी। इसके कारण से हिन्दुस्तान के 8 करोड़ लोगों के घरों में मुफ्त गैस कनेक्शन जाकर उनके घर को भी एक सुख का अनुभव हुआ। आपको लगता होगा कि वास्तव में कुछ हुआ या नहीं हुआ? रेल टिकट में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वरिष्ठता का अधिकार मिलता है, इस नेशन फर्स्ट की भावना को जाग्रत करने का जो प्रयत्न किया उसके कारण से 63 लाख लोगों ने जिनको वरिष्ठ नागरिक के नाते रेलवे में कन्सेशन मिलता है, उसको छोड़ा।

स्वच्छता अभियान-महात्मा गांधी-महात्मा गांधी आप और मैंने बहुत सालों तक कहा, लेकिन वास्तव में इस स्वच्छता को उतारने का किसी ने प्रयत्न किया तो इस देश के प्रधान मंत्री ने लाल किले से घोषणा करके किया।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजे। माननीय सदस्य आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं आज हर व्यक्ति के मन में यह भावना आई है कि हमें वास्तव में स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। आप जाएंगे तो आपको बस स्टैंड साफ मिलेंगे, सड़कें साफ मिलेंगी। अगर किसी ने कुछ गिरा भी दिया तो पीछे चलने वाला आदमी उस गिरे हुए को हाथ में लेकर जाता है और कूड़ेदान तक डालता है। यह काम पचास साल पहले भी हो सकता था। यह आज का इंतजार क्यों कर रहा था? इसका मतलब अगर इस देश की भावना को जगाने का प्रयत्न करें तो देश की जनता आपका साथ देने को तैयार है। यह जो एक नया नारा है कि 'प्लास्टिक मुक्त भारत हो' निश्चित रूप से इस प्लास्टिक ने हमें कितना बर्बाद किया है, यह आप और हम रोज अनुभव करते हैं और स्वयं अपने जीवन में देखते हैं लेकिन इसकी ओर भी कदम बढ़ाने का प्रयास इस व्यक्ति ने किया है।

अयोध्या की जो समस्या है, आलोचना करना या बात करना, वह आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या का फैसला कोई सरकार ने नहीं किया...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं न्यायपालिका का कोई मतलब है। इस संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका कोई है। यदि न्यायपालिका ये काम आज कर सकती है तो ये काम बीस साल पहले क्यों नहीं कर सकती थी?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, ... (व्यवधान) आप खड़े हो जाएं, उससे क्या होता है? सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। आप सबसे मेरा निवेदन है कल बहुत अच्छे और सारगर्भित तरीके से सदन को चलाया। माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। सदन के नेता बोलेंगे। हमारा सबका दायित्व है कि संविधान जैसी मर्यादापूर्वक बात को सभी सुनें और सभी को सीखने का अवसर मिलेगा। सदन में बैठकर अगर हम यहीं करेंगे तो बाहर संदेश क्या लेकर जाएंगे? इस तरह की बात हम कोई नहीं करेंगे। आप विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष के अलावा किसी का भी अंकित नहीं होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष। आप विराज जाइए। आपका नेता बोल रहा है फिर भी नहीं बोलने देंगे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, न्यायालय का फैसला लगातार सुनवाई के कारण से एक निर्णायक दौर पर पहुंचा। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री सभापति: आप विराजें। विराजें-विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: विराजें। आप विराजो। आप विराजिए। राठौड़ साहब, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आप विराजो। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने यह नहीं कहा कि इस सरकार ने फैसला किया, मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने फैसला किया। मैंने यह नहीं कहा कि प्रधान मंत्रीजी ने यह फैसला किया। फैसला कोर्ट ने ही किया। यही फैसला 20 साल पहले भी हो सकता था अगर लगातार हियरिंग करते। अगर लगातार हियरिंग करते। (व्यवधान)

(11.42 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, प्लीज। आप नीचे बैठें। माननीय मंत्रीजी, प्लीज। आप सब बैठें।

माननीय सदस्य, आप इसकी गंभीरता को समझें, यह एक अच्छी डिबेट चल रही थी, मैं फिर निवेदन करूंगा कि कोई भी सदस्य बीच में इंटरवीन नहीं करेगा जब तक जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं यह यील्ड नहीं करें। आप परम्परा को समझें। जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं, जब तक वह नहीं बैठे तब तक किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। कष्ट करके इतना पेशेंस रखें। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेज की किताबों को पढ़ें, नियम और कानून को पढ़ें, इस बात की परम्परा को समझें। मैं यह आपसे भी निवेदन करूंगा और सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि आप गंभीरता को समझते हुए जिस तरह से कटारिया साहब डिबेट को कर रहे हैं, कृपा करके

(श्री अध्यक्ष)

बीच में इंटरवीन आप भी नहीं करें और ...(व्यवधान) प्लीज, आप फिर बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आप कृपया, खुद शांत रहिए न। आप खुद ही गंभीरता से इस बात को समझिए।

मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से हम एक अच्छी डिबेट कर रहे हैं, अच्छी डिबेट को अच्छी डिबेट की तरह ही जनता के बीच में जाने दें। आपकी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग यू-ट्यूब पर जा रही है तो जनता पूरी देख रही है कि नियम, कानून पर किस तरह की डिबेट हम कर रहे हैं। हम इस डिबेट को इसलिए कर रहे हैं कि देश की जनता को और खास तौर से प्रदेश की जनता को यह मालूम पड़े कि संविधान में कर्तव्य क्या है। संविधान में हमारे क्या अधिकार हैं। कर्तव्य के रूप में हम एक सिटीजन से यह आशा करते हैं कि वह कर्तव्य का पालन करें और अगर एक एम.एल.ए. के रूप में हम कर्तव्य का पालन नहीं करें, यह नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि कृपया, अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य पालन का मतलब यह है कि कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बीच में इंटरवीन नहीं करें, बैठे-बैठे नहीं बोलें। जब जवाब देने का मौका मिलेगा तब माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे। मुख्य मंत्रीजी उन सब बातों का जवाब दे पाएंगे। प्रतिपक्ष के सदस्य अपनी बात अपने ढंग से कह रहे हैं इसलिए डिबेट की गरिमा को बनाये रखते हुए मैं पक्ष और विपक्ष, दोनों माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया, एक अच्छी डिबेट हो रही है, उसकी महत्ता और इम्पोर्टेंस को समझते हुए कृपया, नियम और कानून का पालन करें। प्रतिपक्ष के माननीय नेता।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, मैं अलाउ नहीं करूंगा। I will not allow it. I will not allow it. I will not allow it. प्लीज, संसदीय मंत्रीजी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा। रिकार्ड में कोई अंकित नहीं हो। रिकार्ड नहीं होगा। रिकार्ड नहीं होगा। प्लीज, आप बैठें। I will not allow it. I will not allow it. I said, I will not allow it. प्लीज, आप बैठें। आप बैठें, प्लीज। मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। यह गलत परम्परा है, आप बैठें। यह

(श्री अध्यक्ष)

गलत परम्परा है। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप खुद ही पालन नहीं करना चाहते तो कौन पालन करेगा? प्लीज, आप बैठें। I said, प्लीज, आप बैठें। प्लीज आप बैठें। यह गलत परम्परा है। आप सीनियर लीडर हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, चेयर पर अध्यक्ष खड़े हैं, तब भी आप खड़े होकर बोल रहे हैं। आप प्लीज, बैठें। माननीय सदस्य, फिर बैठे-बैठे बोल रहे हैं आप। आप क्या परम्परा देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप संसदीय मंत्री हैं, अध्यक्ष खड़ा हुआ है तो भी बोल रहे हैं, बैठकर भी बोल रहे हैं, खड़े होकर भी बोल रहे हैं। मैं आपसे ऐसी आशा नहीं करता हूं। प्लीज, मैं आशा नहीं करता हूं। माननीय सदस्य, मैं आपसे भी यह आशा नहीं करता हूं। मेरी यह जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करूंगा। मैं माननीय सदस्यों को भी यह मौका नहीं दूंगा कि आप बीच में इंटरवीन करें। प्लीज, माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री से कि नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी हमारी है, हाउस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो कृपा करके नियम और कानून का पालन करें। मैं धारीवाल साहब, संसदीय कार्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री यदि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो एक ठीक मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि जब चेयर पर खड़े हो अध्यक्ष महोदय तो कृपा करके नियम और कानून का पालन करें, यह मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। प्रतिपक्ष के माननीय नेता।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। Please, I will not allow it.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैंने यह कहा कि एक ऐसी समस्या जिसके कारण से इस देश में लंबे समय से विद्वेष फैला हुआ था। इस समस्या के कारण से दो सम्प्रदाय, दो धर्मों के बीच में एक दीवार थी। यह देश का सौभाग्य है कि 40 दिन की लगातार हियरिंग के बाद जब फैसला हुआ तो सभी लोगों के मन में यह डर था कि बहुत कुछ उत्पात होगा लेकिन देश के सभी, हिन्दू ने भी और मुसलमान ने भी, उस न्यायालय के आदेश को जो पांचों जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से दिया, देश ने स्वीकार करके वर्षों से उलझी हुई एक समस्या को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हल होने का एक रास्ता मिला जिसके कारण से देश में शांति और अमन चैन स्थापित हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत छोटा-सा काम था आधार कार्ड। इस देश में, देश के पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने इस बात को स्वीकार किया और वह पब्लिकली बोले थे कि मैं जो दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं उसका उस व्यक्ति तक पहुंचते-पहुंचते 15 पैसा रह जाता है, उसका हल नहीं निकल पाया। लेकिन इस आधार कार्ड ने जो हल निकाला है वह आपके और हम सबके लिए चौंकाने वाला है। इसको केवल यह मत लो कि आपने निकाला या हमने गलत किया, इस आधार कार्ड के बनने के बाद आठ करोड़ लोग ऐसे मिले जिनका इस धरती पर जन्म ही नहीं हुआ लेकिन वह सभी प्रकार के लाभ ले रहे थे। पेंशन भी ले रहे थे, विधवा पेंशन भी इसमें से थी, छात्रवृत्ति भी इसमें से थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ लाख करोड़ रुपया सालाना आधार कार्ड के कारण से इस देश का बचा है और यह आधार कार्ड को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग गये लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। हम यह चाहते थे कि भ्रष्टाचार के राक्षस को कहीं न कहीं मारा जाए और भ्रष्टाचार के जो फर्जी नामों से, मैं स्वयं आपदा राहत मंत्री रहा हूं। मैंने आपदा राहत में हरेक के खाते में पैसे डालना शुरू किया, जब इसको आन-लाइन किया तो जैसलमेर और बाड़मेर के फीगर देखकर माथा पकड़ लिया मैंने कि यह आदमी है ही नहीं और इतने वर्षों तक इसके खाते का पैसा उठते ही चला जा रहा है, उठते ही चला जा रहा है। यह आदमी तो जमीन पर ही नहीं है। ऑन-लाइन किया तब जाकर हमें यह पकड़ में आया और उसके कारण से लाखों लोग जिनका नाम हमने सूची पर चढ़ा रखा था कि इनको इतना पैसा देना है, वह लेने के लिए ही नहीं आये क्योंकि उनका कहीं कोई आधार नहीं था तो मैं सोचता हूं कि इन बुराइयों का अंत करने के लिए जो प्रयोग किया और अच्छा प्रयोग हुआ, उसके बारे में आपको और हम सबको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि लक्ष्य आपका और मेरा, दोनों का एक ही है कि देश के गरीब के टैक्स के पैसे का सदुपयोग हो, उसमें बचत हो, उसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं हो।

अब जी.एस.टी. के कारण से बहुत तूफान मचा, लेकिन आज यह सच है कि जी.एस.टी. का प्रयोग जिस हिम्मत के साथ हुआ, 99 परसेंट लोग आज टैक्स के दायरे में आने लगे हैं। हम भी टैक्स देने लगे और व्यापारी भी टैक्स

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की भरपाई करने के लिए अपने रिकार्ड रखने लगा और उसके कारण से जो टैक्स पहले कई सोर्स से मल्टी-स्कोर से लगता था, वह कई बार 25 परसेंट, 27 परसेंट पहुंचता था, अब वह लगभग 11-12 परसेंट की रेंज में आकर लगा। इससे सरकार की आमदनी भी बढ़ी, टैक्स की चोरी रुकी, व्यापार में शुचिता आयी और यह अधिकारियों की जो लालफ़ीताशाही थी, उस पर एक रोक लगने का प्रयास हुआ है।

आपको शायद यह भी अच्छा नहीं लगेगा कि तीन साल में आठ करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिये, उसमें से दिये जो एक करोड़ लोगों ने पैसा अपना रोका है, उनके पैसे से दिये। पांच साल में अगर ..(व्यवधान) आप बता देना न।

श्री अध्यक्ष: यह ठीक नहीं है, माननीय मंत्रीजी, please, I am sorry. आप डिबेट की गरिमा को बनाए रखें। मंत्रीजी, डिबेट बंद कर दें? डिबेट बंद कर दें फिर? मतलब खुद तो अपन नियमों का पालन नहीं करना चाहते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, क्या इस देश के उस गरीब आदमी को शौचालय का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। मैंने और आपने कितनी ट्रैवलिंग की होगी, शाम के समय जब भी कभी निकलते थे अपनी मोटर साइकिल लेकर तो खेती के टाइम पर सब खेत बंद हो जाते थे। सड़क के किनारे-किनारे महिलाएं लैट्रिन जाती थीं, इस पीड़ा को वह गरीब ही जानता है, जिसको वहां पर जाना पड़ता है। इस देश के प्रधान मंत्री ने अपने फंड से 60 महीने में, 60 करोड़ लोगों को शौचालय में लैट्रिन जाने की सुविधा उपलब्ध करा दी। अच्छा नहीं लगता है? आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं। पांच साल में 150 करोड़ आवास उपलब्ध कराये, यह भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। 31 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। जो भ्रष्टाचार रोकने का सबसे बड़ा सफल प्रयोग हुआ, वह है बैंक के खाते क्योंकि अब जितना भी सरकारी पैसा है, वह सीधा उसके खाते में जाकर जमा हो रहा है, जिसके कारण से सीधा पैसा जमा हो रहा है। पहले कोई भी जाता, चाहे अधिकारी जाता, जब कैश बांटता था तो बांटने में मन थोड़ा कमजोर हो जाता था, लेकिन अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसकी हर चीज खाते में जा रही है। पैसे कहां जा रहे हैं, खाते में जा रहे हैं। उसकी स्कालरशिप कहां जा रही हैं, मेडिकल कहां जा रहा है, बाकी चीजें कहां जा रही हैं, वृद्धावस्था पेंशन कहां जा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रही है, यह सारा खाते में जाने के कारण सम्भव हुआ। उस गरीब का खाता बैंक में खुला। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।

मैं आपको सही कह रहा हूं कि जब मैं पहली बार 1977 में एम.एल.ए. बनकर आया तब बैंक का खाता मैंने इसी बैंक में पहली बार खुलवाया जब दो एम.एल.ए. के हस्ताक्षर करवाकर बैंक में रिकार्ड दिया तब मेरा खाता खुला था। इस व्यक्ति ने कहा खोलो, उसके कारण से इस देश में जो लीकेज है, जिनके कारण से लोग इसका दुरुपयोग कर रहे थे, उस पर एक रोक लगी और उसके कारण से इतने खाते खुल पाये।

'आयुष्मान भारत' के कारण से पांच लाख रुपये की आर्थिक मेडिकल सहायता देना, कोई गुनाह तो नहीं किया। हमने राजस्थान में पहले से ही भामाशाह योजना के तहत तीस हजार से तीन लाख रुपये देकर, उस गरीब को मदद करने का प्रयास किया। आपको भामाशाह के नाम से चिढ़ थी, कोई बात नहीं, लेकिन इसने सम्पूर्ण देश को 'आयुष्मान योजना' के तहत जोड़ने का प्रयास किया और लगभग 50 करोड़ लोगों का आयुष्मान स्कीम के तहत पांच लाख तक का कवरेज हुआ। आपको यह भी अच्छा नहीं लगा। हिन्दुस्तान के सब किसान, जिनकी संख्या 15 करोड़ छोटे-बड़े सब, उनको किसान सम्मान निधि गयी, इसमें भी आपको अच्छा नहीं लगता है।

अधिकार के साथ-साथ मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जब तक कर्तव्य है, वही अधिकार पैदा करता है। कभी भी बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं आता है और आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी ने देश में बहुत प्रारम्भ में कहा था right a duty well perform अगर आप कर्तव्य करोगे तो अधिकार अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। मैं सोचता हूं इस देश में इस संविधान में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो उन्होंने इस ओर भी इंगित किया, नीति-निर्देशक तत्व की तरफ भी इंगित किया। आपको ड्यूटीज के बारे में समझाने का प्रयास किया ताकि अधिकार प्राप्त कर सको लेकिन जो आपका अधिकार है, वह किसी न किसी दूसरे का कर्तव्य भी है और आपका जो कर्तव्य है, वह किसी दूसरे के लिए अधिकार का रूप बनता है। मैं सोचता हूं इस व्यवस्था में आप देखो कि हमको कुछ न कुछ ऐसे कर्तव्य के बारे में भी इस समाज को जागृत करना है। अब बच्चों को शिक्षा के बारे में लगभग सब लोग जानने लगे हैं, लेकिन मातृ भाषा में शिक्षा हो, इसके बारे में अभी भी कमी है। हमको इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर्तव्य को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेने का अधिकार हो।

टीकाकरण के माध्यम से व्यक्ति को बचाने का ही तो प्रयत्न कर रहे हैं। अगर इस टीकाकरण में हम किसी प्रकार से लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें, उनकी शिक्षा-दीक्षा या उनको समझाने का प्रयास करें तो मैं सोचता हूं कि जो जन-हानि हो रही है, उस जन-हानि को केवल इस एक अभियान को ठीक प्रकार से चला लेने से हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं।

वोट देने का अधिकार है, लेकिन कई लोग वोट देने जाते ही नहीं है। वोट देने भी जाते हैं तो आप और हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है? मैं सोचता हूं कि इसी तरह से भ्रष्टाचार को इस देश के अंदर हम अपने कर्तव्य में लेकर, मैं इससे मुक्ति दिलाऊंगा देश को। मिलावटखोरी की खबरें रोज-सवेरे हम पढ़ते हैं, इसको भी कर्तव्य में डालना चाहिए। आज मैं आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं अगर इस संविधान में जो कुछ भी लिखा गया है उसका अक्षरश: आप, आपकी पार्टी और मेरी पार्टी पालन करें तो इस देश को और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं लेकिन हमने राजनीति को गंदे रास्ते पर डाल दिया है। हमने हमारे कैंडिडेट तय करते समय यह सोचा इस जाति के वोट कितने हैं, इसके कितने हैं, रोज बैठे-बैठे आप और हम यही गणित लगाते हैं और उसी के आधार पर इस जातिवादी जहर को इस राजनीति ने, इस देश को एक दूसरा नया एक तरह से गिरने का रास्ता दे दिया। धनबल के आधार पर हम कैंडिडेट तय करते हैं और आपने देखा होगा, अभी हमने एक अमेंडमेंट दिया कि 19 को नगरपालिका का रिजल्ट निकला और चेयरमैन बनेगा 26 तारीख को, सात दिन तक आदमी कहीं गुम गये, यह 40 आदमी, 50 आदमी कहीं रहते नहीं, जिनको लाने में इतनी देर लगती है। केवल इस कारण से, कि बाड़ेबंदी करो, धर्म परिवर्तन कराओ, पैसे के आधार पर राजनीति करो। यह आपके लिए ठीक हो सकती है, मेरे लिए ठीक हो सकती है, पार्टी के लिए ठीक हो सकती है, पर देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं हो सकती। याद रखना अमर होकर नहीं आये हो। न आप अमर होकर आये, न हम आये। इस गलत रास्ते पर देश के लोकतंत्र को मत डालो, मत डालो। आने वाले भविष्य को आप और हम देखेंगे, केवल व्यक्तिगत स्वार्थों के आधार पर हम पार्टी का विश्लेषण करते हैं। यह पहली बार हुआ है कि पोजीटिव वोट पड़ा, बाकी हम आपकी आलोचना करें, वोट ले जाएं। आप हमारी आलोचना करें, वोट ले

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाओ, पहली बार जनता ने पोजीटिव वोट देना शुरू किया। कृपा करके इस लोकतंत्र को, इस संविधान की मंशा के अनुसार पोजीटिव क्षेत्र में लाओ। अगर कम्पीटिशन करना है तो विकास और काम के आधार पर करो, अपने चरित्र के आधार पर राजनीति को उठाने का प्रयत्न करो, अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर राजनीति को उठाने का प्रयत्न करो, यह परिवार में फंसकर मरे जा रहे हो, फिर भी नहीं मानना चाहते हो तो आपकी मर्जी। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह बोल रहे हैं, यह ठीक बात है क्या? संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज नोट अलाउड, नो-नो, प्लीज बैठें मंत्रीजी। मंत्रीजी, यह गलत परम्परा नहीं।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): संस्था को समाप्त कर दिया इन लोगों ने, आज यह कौनसी बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट लेने का निजीकरण...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, अपेक्षा करता हूं मंत्री अच्छा बिहेव करेंगे I don’t expect this thing. माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे और आप खड़े होकर बोल रहे हैं, अजीब हैं बिलकुल। माननीय मुख्य मंत्रीजी। (व्यवधान) नहीं, माननीय मंत्रीजी, प्लीज, मैंने मुख्य मंत्रीजी को कॉल कर लिया।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान दिवस को मनाने का जो निर्णय भारत सरकार ने लिया और 26 नवम्बर को भारत का संविधान दिवस होता है, क्योंकि चुनाव चल रहे थे इसलिए मजबूरी के अंदर हमें आपको निवेदन करना पड़ा कि इसको 28-29 तारीख को रखा जाए। मैं आपका आभारी हूं आपने हमारी भावनाओं को समझा और दो दिन का सबको अवसर दिया कि भारत के इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान के बारे में, संविधान की उपलब्धियों के बारे में, संविधान की जो 70 साल की यात्रा हुई उसके बारे में हम सबको सोचने का, आत्म-चिंतन करने का, मन में संकल्प करने का और देश को आगे बढ़ाने की क्या

(श्री अशोक गहलोत)

संभावना हो सकती है, कितनी उपलब्धियां हुई हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकें।

आपकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी, तब भी तय हुआ था कि हम लोग कुछ सीमाओं में ही रहकर चर्चा करेंगे और मैं समझता हूं बाई एण्ड लाज दो दिन से इसका पालन भी किया गया। आज भी कोई कारण नहीं था, थोड़ी गरमा-गरम बहस हो गयी और मैं मानता हूं कि नेता, प्रतिपक्ष महोदय, इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि यह संविधान त्याग की, कुर्बानी की, बलिदान की, यह किसने किया, यह आपको मालूम है। आप क्या बोलते, हमको पता है आप बोल क्या सकते थे, इसलिए जो उपलब्धियां हैं, एन.डी.ए. गवर्नमेंट की, वह बताना आपके लिए लाजिमी था, वह आपने बतायी और हमारे मित्रों ने कुछ अति-उत्साह में आपको डिस्टर्ब किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आपके बारे में जानता हूं और मैं समझ रहा था जब आप बोल रहे थे कि लंबा संघर्ष चला आजादी के लिए, कितना बड़ा त्याग और कुर्बानी की गयी, वह कांग्रेस के नेतृत्व में की गयी, महात्मा गांधी के सानिध्य में की गयी। गोपालकृष्ण गोखले, लाला लाजपतराय, विपिन चन्द्र पाल, लोकमान्य गंगाधर तिलक से लगाकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डा. अम्बेडकर की भूमिका, यह तमाम एक लंबा इतिहास इस देश का है। पूरा देश इतिहास पढ़ता भी है, समझता भी है और उसी रूप में देश चल रहा है। लंबी यात्रा में संविधान के बारे में मेरे मित्रों ने, करीब 31 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी। मूल भावना क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कल जब प्रिएम्बल सबको पढ़कर सुनाया तो मूल भावना उस वक्त भी मौजूद थी, तब समस्याएं थीं देश के सामने।

(12.00 बजे)

पर क्योंकि लम्बा संघर्ष हुआ था, संघर्ष के जो खट्टे-मीठे अनुभव थे, गांधी जी द्वारा करो-मरो का नारा दिया गया। लोग बार-बार जेलों में बंद किये गये, क्या-क्या नहीं किया गया। पंडित नेहरू जैसी महान हस्ती जिसके बारे में आज सोशल मीडिया क्या-क्या नहीं लिखता है, जैसी सोच सोशल मीडिया में आ रही है।

दु:ख होता है कि एक महान विभूति, महापुरुष दस साल से अधिक जेल रहा हो, 3250 दिवस तक जेल में बिताये हों, वे जेल में होते थे, उनकी

(श्री अशोक गहलोत)

धर्मपत्नी कमला जी सड़कों पर आन्दोलन करती थीं। वे जेल में होते थे तो इंदिरा गांधी जो बच्ची थी, उनको पत्र लिखा करते थे। 'भारत एक खोज' पुस्तिका बन गयी, ग्लिंप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' पूरी दुनिया जब पढ़ती है तो लगता है कि एक ऐसा नौजवान जो मोतीलाल नेहरू जैसे अमीर व्यक्ति का बेटा था, सब कुछ छोड़ दिया, जेल में रहकर ऐसी किताबें लिख रहा है, देश की यात्राएं कर रहा है। उस सोच का परिणाम था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिन्दू महासभा के थे, उनको साथ लिया आजादी के बाद। अम्बेडकर साहब एक्सपर्ट थे, कांग्रेस से उनके विचार नहीं मिलते थे, आपको भी मालूम है। गांधी और अम्बेडकर के विचार भी कई मायने के अन्दर नहीं मिलते थे। उस वक्त का जो आपने अभी कहा, क्या माहौल था, क्या बड़े दिल रखा करते थे, विचार नहीं मिलते थे तब भी मिलकर चलते थे। देश हित में क्या हो, वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भी अनुभव काम आ सकते हैं, उनको साथ लेओ, उद्योग मंत्री बनाओ। डा. अम्बेडकर का एक्सपर्टाइज है लीगल के अन्दर, उनको साथ लेओ, ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाओ। कांग्रेस में नहीं थे, दो बार लोक सभा के चुनाव हार गये थे। कल किसी ने कहा उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कैसे देते, न टिकट मांगा न वो कांग्रेस में थे। दो बार लोक सभा के चुनाव हार गये, दो बार पंडित नेहरू उनको राज्य सभा में लेकर आये, लॉ मिनिस्टर बनाया, यह हम भूल जाते हैं। ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, पंडित नेहरू ने बनाया, गांधी जी ने बनाया।

पूरा इतिहास भरा पड़ा है, इस देश का महान इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। जब संविधान सभा बनी, आप लोगों ने बहुत विस्तार से बताया किस प्रकार से कितने पेज की बनी है, हस्तलिखित है, हिन्दी व इंग्लिश दोनों में, लाइब्रेरी के अन्दर हीलियम गैस के चैम्बर में उसको संजोये हुए हैं। राजसमन्द से आने वाली विधायिका नीचे देख रही हैं, मेरी बात नहीं सुन रही हैं। कल जब आप बोल रही थीं तो आपने अच्छा चित्रण किया। मैं तारीफ कर रहा हूं आप घबराओ मत। आपने बताया किस-किस रूप में राम, कृष्ण, गुरुनानक देव, अकबर, इस प्रकार चित्रण किया गया है हर पेज के ऊपर अध्याय के सामने। इस रूप में कितने प्रयास किये गये होंगे? दो-ढाई साल लगे होंगे, शानदार संविधान हमारे सामने है। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान साथ में आजाद हुए थे, यह हमें नहीं भूलना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए, नेता, प्रतिपक्ष महोदय, कि आज 70 साल के बावजूद भी, इंदिरा गांधी चुनाव

(श्री अशोक गहलोत)

हार गयीं, एक सैकण्ड नहीं लगाया, मोरारजी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। यह है मूल भावना संविधान की। कितने बदले प्राइम मिनिस्टर। वाजपेयी जी एक वोट से हार गये, चेहरे पर शिकन नहीं, दोबारा मैदान में उतर गये, चुनाव जीतकर आ गये।

70 साल का सफर किसे कहते हैं? पाकिस्तान में बार-बार सैनिकों का शासन, प्रधान मंत्री को जेल, भुट्टो साहब को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। जेल में बंद किया और फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। कहां हिन्दुस्तान और कहां पाकिस्तान? फिर भी पाकिस्तान का भय दिखा करके राष्ट्रवाद, ओहो, पाकिस्तान है क्या चीज? हिन्दुस्तान के सामने पाकिस्तान चीज क्या है? वहां का प्रधान मंत्री खुद कहता है हम हिन्दुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते युद्ध के माध्यम से, कहां आप कहां वह? पर, जिस रूप में देश के अन्दर माहौल बनाया गया यह संविधान की भावना के अनुकूल है? बजाय इसके कि हम आज भी जो मूलभूत भावना संविधान की है उसको लेकर 70 साल के अन्दर जो कमी रही है, उसको दूर करने का प्रयास करें। गरीबी-अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। छुआछूत आज भी है, जो मानवता पर कलंक है, आप तो समझ सकते हो। आज भी मानवता पर कलंक है, हम सब पर कलंक है देशवासियों पर भी। आज हम कोई चर्चा नहीं करते हैं उसकी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के पहले हमारे फ्रीडम फाइटर चाहे जयनारायण व्यास हो, माणिक्यलाल वर्मा हो, बारण बंधु हों, रामनारायण चौधरी हो, किस-किसके नाम लें, उस वक्त संघर्ष करके सड़कों पर आकर मंदिर में प्रवेश कराने का प्रयास करते थे। वह जमाना था जब छुआछूत का क्या रूप था, हम समझ सकते हैं। उस वक्त में हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश कराना, यह आगे बढ़ते थे पीछे कार्यकर्ता जाते थे, कांग्रेस का नेतृत्व था उस जमाने में।

इस रूप में देश आगे बढ़ा है, आजाद हुआ है। आजादी कोई ऐसे नहीं मिली है। चन्द्रशेखर, भगत सिंह, सावरकर आप नाम लेते हैं, सुभाष चन्द्र बोस, आपने हमेशा यह कोशिश की कि कांग्रेस के लोग तो इनके खिलाफ थे। पूरे देश की नौजवान पीढ़ी को आप गुमराह करते हो, कांग्रेस के लोग तो सुभाष चन्द्र बोस के खिलाफ थे, गांधी जी उनके खिलाफ थे। भगत सिंह से मिलने के लिए पंडित नेहरू जी गये नहीं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी बोलते हैं और जब रिकार्ड आता है कब गये, किस तारीख को गये तो चुप हो

(श्री अशोक गहलोत)

जाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लंदन में डैथ हुई और पंडित नेहरू ने शव को हिन्दुस्तान के अन्दर लाने नहीं दिया जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डैथ जम्मू में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। बताइये आप, क्या हो रहा है देश के अन्दर? हम किस दिशा में जा रहे हैं? देश के प्रधान मंत्री कई बार ऐसी बातें बोल चुके हैं, मेरे पास लम्बी लिस्ट है, मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं, दिल के अन्दर आपको भी मालूम है सब, बातें क्या हो रही हैं, पर मजबूरी आपकी भी है। आज सब जानते हैं, हिन्दुस्तान जानता है कि प्रधान मंत्री जी ने कहां-कहां गलत वाक्य बोले हैं लेकिन चल रहा है।

अमेरिका में, बिलकुल ठीक है, अमेरिका में, इंग्लैंड में जहां जाएंगे दुनिया के इतिहास में हमें गर्व होना चाहिए, प्रधान मंत्री जी जाकर बोल रहे हैं, देश का मान-सम्मान बढ़ रहा है। प्रधान मंत्री का मान-सम्मान बढ़ रहा है, पर क्यों बढ़ रहा है? 70 साल की तपस्या है कांग्रेस की सरकारों की, तब बढ़ रहा है। जहां सुई नहीं बनती थी, माननीय नेता, प्रतिपक्ष जी, देश के अन्दर सुई नहीं बनती थी, बाहर से आती थी। क्या था, 33 करोड़ देवी-देवता थे देश के अन्दर, आज 130 करोड़ देवी-देवता हैं। आप बात करते हो, पी एल 480, भीख मांगते थे अमेरिका से। वह दिन आपको याद है, मुझे भी याद है, हालांकि हम लोग आजादी के बाद पैदा हुए हैं।

बिजली क्या होती है, आजादी के वक्त में लोग नहीं समझते थे, गांवों में ढाणियों तक नहीं समझते थे, सावन-भादों में बिजली कड़कती थी, ये बिजली कड़क रही है उसको मानते थे। क्या ऐसे ही बन गयी, क्या चार साल में देश भर के अन्दर बिजली आ गयी, गांव में पहुंच गयी? गांवों के अन्दर सड़कें पहुंच गयी, बिजली पहुंच गयी, पानी पहुंच गया, स्कूलें खुल गयीं, अस्पताल खुल गये, सब छह साल में खुल गये? मोदी जी प्रधान मंत्री बने, इसरो में गये और चार महीने बाद में मंगल ग्रह पर उपग्रह छोड़े गये। वाह-वाह क्या ठाठ हैं मोदी जी के।

लम्बा इतिहास है, अगर आप दिन भर चर्चा कराएंगे तो आप सब की बोलती बंद हो जाएगी, यह देश के अन्दर कांग्रेस का इतिहास है। आप लोगों ने उंगली नहीं कटाई अपनी और लंबी-चौड़ी बातें कर रहे हो। कुछ तो स्वीकार करो कि उस वक्त में हम समझ नहीं पाए थे। आरएसएस समझ नहीं पाई थी इसलिए उन्होंने साथ नहीं दिया आंदोलन का। कहने में क्या हर्ज पड़ता है।

(श्री अशोक गहलोत)

सबको मालूम है कि आरएसएस ने साथ नहीं दिया। सबको मालूम है। वह खुद जानते हैं इस बात को। तभी कल किसी ने कहा कि जब संविधान बन गया तब भी उसके ऊपर टिप्पणी की गयी। मनु स्मृति की बात की गयी। आप मुझे बताइए जब मालूम है कि आरएसएस ने साथ नहीं दिया, बीजेपी थी नहीं उस वक्त, जनसंघ बाद में बना, फिर उसके बाद में स्वीकार करने में हर्ज क्या है? महात्मा गांधी को कभी माना नहीं। अम्बेडकर को कभी माना नहीं। आरक्षण को कभी स्वीकार नहीं किया। देखो, ईमानदारी की बात सोचो। आपका दिल कह रहा होगा, वह झूठ नहीं बोल सकता, आप झूठ बोल सकते हो।

मैं जानता हूं कि देश में क्या था? क्या जनसंघ था, पैदा ही हुआ था। शेखावत साहब आज मौजूद नहीं हैं, भैरोंसिह शेखावत, शुरुआत की, 2, 4, 6, 8 तक विधान सभा के अंदर मैम्बर आते थे। हां, यहां तक पहुंचे। 2 मैम्बर आए थे आपके पार्लियामेंट के अंदर। मैं था पार्लियामेंट के अंदर। 2 बार, आप सत्ता में आ गये, दूसरी बार। कितने बड़े गर्व की बात है यह? यह इस संविधान की उपलब्धि है कि आप यहां तक आकर पहुंचे हो। संविधान बनाया, कांग्रेस के नेताओं ने संविधान बनाया था। आपने संविधान नहीं बनाया। संविधान बनाने में आपकी कोई भूमिका नहीं है। स्वीकार करो इस बात को। यह चीज स्वीकार करो। क्यों नहीं स्वीकार करते हो?

आप लोगों का कोई योगदान नहीं। आप लोगों का कोई संबंध नहीं संविधान से। हां, संविधान बनने के बाद में सत्ता में आपको आना है, लोकतंत्र कायम है, तो आपको उस रूप में चलना है इसलिए आप संविधान को स्वीकार कर रहे हो और जिस रूप में देश चल रहा है, 'मोदी है तो मुमकिन है', 'मोदी है तो मुमकिन है'। कब तो राज्यपाल महोदय ने रात को मोदी जी को संदेश भेजा कि राष्ट्रपति शासन समाप्त करो, कब भेजा, पता नहीं। कब मोदी जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई? किसी को पता नहीं है। कब उन्होंने रिकमंड किया राष्ट्रपति महोदय को? बहुत भले आदमी हैं राष्ट्रपति महोदय। बहुत सज्जन व्यक्तित्व के धनी हैं। पता नहीं, सोये हुए होंगे। कब उठाया होगा? नींद में थे कि नहीं थे, पता नहीं। सुबह 5 बजकर 47 मिनट पर आदेश निकलता है गृह मंत्रालय से कि राष्ट्रपति शासन समाप्त। 8 बजे शपथ हो जाती है, मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री की। क्या ठाठ हैं? बाद में, 8 बजे शपथ और सवा 8 बजे

(श्री अशोक गहलोत)

ट्वीट प्रधान मंत्री जी का, 'फडणवीस जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो और फडणवीस जी वापस, 'मोदी है तो मुमकिन है', वाह-वाह, क्या ठाठ हैं। बताइए आप।

पहले सुनते थे राजा-महाराजाओं के महलों के अंदर षड्यंत्र होते थे और सुबह तख़्ते पलट जाते थे। कमाल कर दिया आप लोगों ने, कमाल कर दिया। मानना पड़ेगा आपको। हम लोगों में इतना साहस नहीं है। दुस्साहस है तो आपमें है, साहस है तो आपमें है। वह मोदी जी दिखा रहे हैं। मैं चिंताग्रस्त हो गया हूं कि 'मोदी है तो मुमकिन है', पता नहीं लोकतंत्र कब तक चलेगा, क्योंकि 'मोदी है तो मुमकिन है'। 'मोदी है तो मुमकिन है', सब कुछ है। यह चिंता ही थी देश भर के अंदर कि आडवाणी साहब बोले थे पहले। सरकार बनते ही बोले थे कि 'इमरजेंसी का माहौल लगने लग गया है'। आरएसएस का डंडा पड़ा तो हमारे बुजुर्ग नेता ने कहा कि नहीं, मेरा मतलब यह था, मेरा मतलब यह था।

आप देख रहे हो, यह माहौल भय का, हिंसा का, मॉब लिंचिंग का जो देश के अंदर चल रहा है, यह आज के पहले कभी नहीं था। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि यह एंटी सोशल एलिमेंट हैं। मुझे बहुत खुशी हुई अगर प्रधान मंत्री जी इस बात पर कायम रहते तो। मैं समझता हूं कि मॉब लिंचिंग चाहे वह हिन्दू, चाहे मुस्लिम, कोई व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, मॉब लिंचिंग किसे कहते हैं, सड़क पर आप किसी को मार दो। कानून बनाना पड़ा इस कारण से। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कानून बना। मैं आपकी मदद चाहूंगा, कानून अटका पड़ा है दिल्ली के अंदर, राष्ट्रपति महोदय के अभी तक साइन नहीं हुए हैं। मॉब लिंचिंग को भी, आनर कीलिंग को भी, बच्चे-बच्ची इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, मां-बाप मार देते हैं। मैं समझता हूं हम लोगों को और आपको विशेष रूप से कोशिश करनी चाहिए कि गृह मंत्रालय में समझा करके, साइन करवा करके लाएं। 'मोदी है तो मुमकिन है' हम तो यह मानते हैं, उससे मैं चिंतित हूं। 'मोदी है तो मुमकिन है', आप खुश हो, मैं चिंतित हूं। यह मुमकिन पता नहीं किन-किन बातों को लेकर होगा?

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को कहना पड़ा कि लोकतंत्र खतरे में है। धज्जियां उड़ा दीं, संविधान की चूलें हिला दीं। 4 जजेज ने, इतना

(श्री अशोक गहलोत)

बड़ा हमारा संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के 4 जजेज, मुख्य मंत्री महोदय, बार-बार मेरे मुंह से आपके लिए मुख्य मंत्री निकल रहा है, पता नहीं कल क्या हो जाए, पता नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बोल रहे हैं देश के अंदर, उससे पूरा देश सन्न रह गया। दुनिया में क्या मैसेज गया? वह कह रहे हैं कि लोकतंत्र को देश के अंदर खतरा है। कल्पना करें कटारिया साहब, उनमें से एक सीजेआई बन गये। मिस्टर गोगोई को कोई पूछे कि आप जब पहले 4 में बैठे थे, वह सही था आपका आरोप या बनने के बाद में आपने वही काम किए जो पहले चले रहे थे, तो वह सही है या कौनसा सही है, बताओ। अब तो वह हैं नहीं सीजेआई। देश को बताना चाहिए। देश उनसे जानना चाहता है कि आप 4 जजेज में बैठ गये, इतना बड़ा आरोप लगा दिया आपने, बाद में क्या हो गया आपको? बाद में आप अचानक ही बदल गये। जो पहले प्रक्रियाएं थीं सुप्रीम कोर्ट में, वह प्रक्रियाएं चलती रहीं आपके जमाने के अंदर। यह रहस्य बना हुआ है। रहस्य खुलना चाहिए। जनता के बीच में आना चाहिए, मेरा मानना है। यह मामूली बात नहीं है। कोई मैंने गलती कर दी? तो आप बताइए मुझे, जो हालात देश में हों, इसमें जुडिशियरी कितने दबाव के अंदर है।

इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, क्या छापे डलवा रहे हैं? वाह-वाह, एक के बाद एक। असहमति, कोई इंटेलेक्चुअल, सरकार का विरोध कर दे, इंडिविजुअल कर दे, व्यक्तिगत कर दे तो राजद्रोही है। मुकदमा दर्ज हो गया 80 लोगों पर राजद्रोह का। कमाल है। संविधान में लिखी हुई हैं यह बातें? लिखा हुआ है संविधान में? यह कितना पवित्र संविधान है। क्या-क्या नहीं लिखा गया है। एक-एक शब्द पढ़ेंगे तो हमें गर्व होगा। संविधान जो बनाया जिन लोगों ने मिलकर, उस संविधान के एक-एक शब्द पर हमें गर्व है और हम सबको गर्व होना चाहिए।

संविधान मन में रहना चाहिए। हम आए हैं, 7 करोड़ लोगों में से आप 200 लोग क्यों बैठे हैं यहां पर? कुछ तो जनता ने हम पर विश्वास किया है। 7 करोड़, साढ़े 7 करोड़ में से आप 200 लोग बैठे हैं तो हमारी जिम्मेदारी कितने हजार गुणा बढ़ जाती है? यह भी आप सोच सकते हैं। कुछ आत्मा, कुछ परमात्मा को सामने रखकर हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए, जहां गलती हो रही है, वहां अपनी बात बोलें। मुझे किसी ने कहा, टाइम क्या आ गया,

(श्री अशोक गहलोत)

'राजा बोला रात है, रानी बोली रात है,

मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है

और यह सुबह-सुबह की बात है'।

बताइए आप। ये हालात हैं। सुबह है तो भी रात है। हां, रात है। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। हिम्मत नहीं है। वह आपकी पूर्व मुख्य मंत्री महोदया बोलने लगीं, उनको घर बैठा दिया आप लोगों ने। वह आ ही नहीं रही हाउस में। बताइए आप। कटारिया साहब, कैलाश मेघवाल साहब, आप 75 प्लस हो गये हो, ध्यान रखो, मोदी जी का फार्मूला याद कर लो आप। पता नहीं आपको कब गवर्नर बनाकर भेज दें यहां से। हमें पता ही नहीं पड़ेगा। अब आप नहीं हो, पता नहीं कब तक आप रहोगे। आपके साथ चोट पहले भी हो चुकी है। आप खाली यात्रा ही तो निकाल रहे थे। वसुन्धरा जी ने कहा, मिस्टर कटारिया, या तो यात्रा बंद करो या मैं फिर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देती हूं। क्या ठाठ हैं आपकी पार्टी के अंदर? वाह-वाह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पहले भी रिकार्ड ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे, बैठे नहीं बोलें ...(व्यवधान) आप सीनियर आदमी हो ...(व्यवधान) he is not yielding, please.

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सारी संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया दबाव में है, जुडिशियरी दबाव में है, डीआरडीओ, सीएजी, इसरो, एम्स, आईसीएआर, एससीजीएच, आरआई, यूजीसी, आईआईटी, आईआईएम, ये किसने बनाए हैं? ये पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी। मुल्क आजाद हुआ और उन्होंने सब संस्थाओं का निर्माण किया। आप बताइए, उन संस्थाओं पर कमेंट करना अच्छी बात होती है क्या? दबाव में काम करती है जुडिशियरी, अच्छी बात होती है? आज देश खड़ा है, संविधान की रक्षा कर रहा है, तो ये संस्थाएं कर रही हैं। जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, मैं समझता हूं कि जिस रूप में एक के बाद एक 73, 74 अमेंडमेंट हुए। राजीव गांधी का सपना था। अभी आप गर्व से कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। आप कह रहे थे, आधार कार्ड, कितना शानदार कार्ड है? सब तरह से घुस जाता है बैंक के अंदर सीधा ही, अच्छी बात है। आपको प्लेन और ट्रेन में कितनी तकलीफ होती थी उस समय, अब घर बैठे टिकट आप ले रहे हैं। क्रांति हो गयी,

(श्री अशोक गहलोत)

मोबाइल फोन, दुनिया मुट्ठी में है। गूगल पर पूरी जानकारी है। गुलाब चन्द कटारिया लिखो गूगल में, पूरी हिस्ट्री आ जाएगी आपकी उसमें। आप कहां पहुंच गये? ऐसे ही पहुंच गये? जब राजीव गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में जाना है, आईटी, इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी बनाई, लेकर आए तो आपके माननीय पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेकर आए थे पार्लियामेंट में कि राजीव गांधी का दिमाग खराब हुआ है, यह कम्प्यूटर लाएगा, सब बेरोजगार हो जाएंगे। उस आईटी का कमाल है, इंटरनेट का कमाल है कि अभी आप तारीफ इतनी कर रहे थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार कार्ड कौन लेकर आया? आप लेकर आए? आधार कार्ड कौन लेकर आया था? डाक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए थे। दूदू में उसका लान्चिंग हुआ था। अब आप बताइए, आधार कार्ड का विरोध किया गया। एफडीआई आ रहा था, विरोध कर रही थी बीजेपी, आना नहीं चाहिए, देश बर्बाद हो जाएगा, अब आप एफडीआई ला रहे हो। क्या मतलब है भाई? आपने विरोध किया, आप ला रहे हो। आधार कार्ड का विरोध आपने किया। अब आपने स्वीकार भी किया और उसका उपयोग भी कर रहे हो, अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूं। हमें यदि गैस कनेक्शन मिला है या आपने कहा कि बैंकों में गरीब गया है। इधर एक रुपया भेजते थे राजीव गांधी, पन्द्रह पैसे पहुंचते थे उधर, यह बात तो खुद ने कही है उन्होंने। इसीलिए वह सब कुछ लाए। उनका जो सपना था, दुनिया में देखकर आए थे, दुनिया कहां पहुंच गयी है और हम कहां पर हैं? उस वक्त लोग समझ नहीं पाए थे, बीजेपी के लोग, आप लोग समझ नहीं पा रहे थे यह क्या कह रहे हैं। पन्द्रह साल बाद तो जाएगा मुल्क 21वीं सदी में, नई बात क्या कह रहे थे? उनका कहना यही था कि दुनिया कहां तक विकसित हो चुकी है, हम नई शताब्दी में जाएं तो कम से कम हम ऐसी स्थिति में जाएं जिससे कि दुनिया के मुल्कों के अंदर विकसित राष्ट्रों के मुकाबले हम भी आगे खड़े हो सकें, इसलिए वह यह बात कह रहे थे। आप लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई थी। आप मजाक उड़ाने में माहिर हो, आप क्या नहीं कर सकते हो क्योंकि जब तर्क नहीं होते हैं तो यही स्थिति बनती है।

सोशल मीडिया को आपने कैप्चर कर लिया, बाण्ड लेकर आ गये आप लोग। बाण्ड सबसे बड़ा स्कैंडल होगा देश का, यह मैं आज आप सबको

(श्री अशोक गहलोत)

दावे के साथ कह सकता हूं। आज अरुण जेटली नहीं हैं इस दुनिया के अंदर। मैं उनके बारे में क्या बात करूं, पर बाण्ड इतना बड़ा स्कैंडल है, आप बताओ कि 90 प्रतिशत पैसा आपको मिल रहा है बाण्ड से। किससे सौदा कर रहे हैं, कौन, किसी का पता ही नहीं है। करप्शन करने के लिए कौनसा काम कब किसका कर रहे हो, इसके बदले में कौन बाण्ड दे रहा है, किसी का पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि गुप्त है वह तो और आप लिए जा रहे हो। पांच हजार करोड़ रुपये में से 90 प्रतिशत पैदा बीजेपी को मिला है। कोई बोल नहीं रहा है देश के अंदर। लोगों को सड़कों पर आना चाहिए, बाण्ड बर्बाद करेगा इस देश को। सब बड़ी पार्टियों की फंडिंग बंद, सिर्फ बीजेपी के पास फंड है देश में। लोकतंत्र है यह? संविधान की मूल भावना के अनुरूप है यह काम? क्या होगा देश का? मुझे चिंता लगी हुई है क्या होगा? एक पार्टी का राज चाहते हैं आप लोग? 50 साल तक शासन करेंगे, आपके गृह मंत्री बोलते हैं। हमारे गर्ग साहब हाथ हिला रहे हैं, उस वक्त तक हम लोग नहीं रहेंगे। पर इतिहास और आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी, यदि अभी चुप रहे तो। 50 साल तक करेंगे राज, करो राज। डैमोक्रेसी है, कौन मना कर रहा है? पर, वोट के माध्यम से करो, लोकतंत्र की हत्या करके मत करो। तानाशाही का शासन लाकर मत करो। क्या हो रहा है बाण्ड से, फंडिंग बंद, फंडिंग बंद। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस की तो नीतियां, कार्यक्रम और सिद्धांत ऐसे शानदार हैं, जो आजादी के पहले से बने हुए हैं, जो भावना थी, आप उसका मुकाबला कभी कर नहीं सकते, जुमलेबाजी कर सकते हो। अच्छे दिन आएंगे, कह सकते हो, ब्लैक मनी लेकर आएंगे दुनिया के मुल्कों से सौ दिन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जज को बना दिया एसआईटी का चेयरमैन। पता ही नहीं क्या हुआ उसका? कितनी बड़ी मजाक है? टू जी स्पेक्ट्रम, कोलगेट, अन्ना हजारे, केजरीवाल, सबको बैठा दिया, सब कुछ कर लिया, जीतकर भी आ गये, बहुत अच्छी बात है। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? कोलगेट का क्या हुआ? टू जी स्पेक्ट्रम वाले सब छूट गये। कोई बात नहीं। करप्शन के जो इंडिविजुअल आरोप लगते थे लोगों पर, अब तो बाण्ड लाकर सरकार खुद आरोपित हो गयी है। एनडीए की गवर्नमेंट खुद आरोपित है। इतना बड़ा संस्थागत करप्शन चल रहा है देश के अंदर, किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा है और एक पार्टी के पास पैसा आ रहा है, बाकी पार्टियां इलेक्शन नहीं लड़ पा रही हैं। यह स्थिति है, लोकतंत्र है यह? कहां ले जाओगे देश को?

(श्री अशोक गहलोत)

एक पार्टी का राज चाहते हो आप लोग चाइना की तरह कि सामने वाली पार्टी हमारी हो, उनको फंड हम भी करें। दिखावट के अंदर लोकतंत्र है देश के अंदर, दो पार्टियां हैं देश के अंदर, आप वह चाहते हो? कांग्रेस की नीतियां, महात्मा गांधी के दिए हुए सिद्धांत हों, चाहे नीतियां हों, चाहे कार्यक्रम हों, कांग्रेस अगले सौ साल तक खतम नहीं हो सकती, यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होगी। यह कांग्रेस है, महात्मा गांधी की पार्टी का नाम आपके प्रधान मंत्री ने लेना शुरू किया है। महात्मा गांधी का नाम पच्चीस साल पहले, पच्चीस साल पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस वक्त पहली बार महात्मा गांधी के फोटो लगे थे स्टेज पर, बीस-पच्चीस साल पहले, पहले कभी नहीं लगते थे फोटो। तिरंगा कभी खड़ा नहीं किया आपके आरएसएस के हैडक्वार्टर पर, यह आप सबको मालूम है। नई बात नहीं कह रहा हूं। तिरंगे को मानते नहीं थे। मोरारजी देसाई बने थे प्राइम मिनिस्टर, एक प्रयास हुआ उस वक्त में कि इस तिरंगे झंडे को खतम कर दो, एक नया झंडा बनना चाहिए इस देश का। मैं गया मोरारजी भाई देसाई के पास बचपन के अंदर। मैंने कहा कि आप यह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं, चिंता मत करो, वे खुद भी कांग्रेसी थे पहले। बनते होंगे प्राइम मिनिस्टर आपके, जनसंघ, सब पार्टियां मिलकर जनता पार्टी बनाई, फिर आप अलग हो गये। अब मुझे बताओ, एक पार्टी का राज संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में सब लिखा हुआ है। हम शपथ लेते हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री, क्या बोलते हैं हम लोग? क्या हमें उस पर नहीं चलना चाहिए? आप मुझे बताओ कि हाउडी मोदी, कोई बात नहीं, पर आप बताओ कि जो आपने संविधान में लिखा है, गुटनिरपेक्ष रहेंगे, हमारी विदेश नीति, जब वाजपेयीजी बन गये थे विदेश मंत्री मोरारजी भाई के साथ में, बनते ही कहा कि मेरे देश की विदेश नीति वही रहेगी जो पहले से चली आ रही है पंडित नेहरू से।

आपने क्या किया? प्रधान मंत्रीजी ने हाथ पकड़कर घुमा दिया, ट्रम्प को। अगली सरकार, ट्रम्प सरकार। कमाल है, कल सरकार वहां दूसरी पार्टी की आएगी तो आप क्या करेंगे? हमारे देश की नीति कब रही है यह बोलने की? प्रधान मंत्री बोलकर आ गये और ट्रम्प साहब ने भी कह दिया कि ये हिन्दुस्तान के राष्ट्रपिता हैं। मोदीजी गांधीजी को मानते हैं या खुद को मानते हैं, पहले यह तय किया जाए। महात्मा गांधी का नाम लेने लग गये आप

(श्री अशोक गहलोत)

लोग। सरदार पटेल का नाम लेने लग गये आप लोग। मैं कहना नहीं चाहता इस हाउस के अंदर, सरदार पटेल के बारे में क्या-क्या कहा गया है, मेरे पास लिखित में किताब छपी हुई है। आप मुझे बताइए कोई बात नहीं, आप मानने लग गये। मैं यह नहीं कहता कि आप मत मानो, गांधी को आज पूरा विश्व मान रहा है। सोनिया गांधीजी, डाक्टर मनमोहन सिंहजी ने यूएन में प्रस्ताव पास करवा दिया, दो अक्टूबर को पूरा विश्व मनाएगा अहिंसा दिवस। मुझे गर्व है, आप सबको गर्व होना चाहिए, पर मुझे इस बात की शिकायत है, गांधी को मानें, दिल से दिमाग से मानें। खाली आप जुबान से मत मानें। आज प्रज्ञा ठाकुर क्या बोल रही हैं। गोडसे को क्या बता रही हैं। मोदी जी ने खुद ने चुनाव से पहले देशवासियों से कहा- 'मैं मन से इसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा'। कहा या नहीं कहा, बता दीजिए मुझे आप ताकि चुनाव में नुकसान न हो जाए उन्हें, इसलिए कही यह बात। चुनाव में फायदा उठाने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कह दिया। मोदी जी क्यों भूल जाते हैं जो पार्लियामेंट में वे बोल रही हैं? जब हम उपासना की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, सभी धर्मों को समान माना गया है, सर्व धर्म समभाव की बात की गयी है, समाजवाद की बात की गयी है संविधान में, तो आज भी सोशल जस्टिस की जरूरत है देश को। गरीब और अमीर की खाई बहुत बढ़ रही है, उस पर हम चर्चा करें।

आरबीआई जो है, वह एक संवैधानिक संस्था है। आरबीआई और सरकार में पहली बार टसल हो रही है। उर्जित पटेल, रघुराम राजन इस्तीफा देकर जा रहे हैं। अरविंद सुब्रमण्यन, जो उनके खुद के आर्थिक सलाहकार हैं, वे भी इस्तीफा देकर जा रहे हैं। अरविंद पानगड़िया, जो राजस्थान के ही हैं, उन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, वे भी चले गये। आप सोचिए, अर्थव्यवस्था की स्थिति बर्बाद हो रही है। रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है। पैट्रोल-डीजल के दाम जो हमारे वक्त में बढ़े थे, जिनके लिए पूरे देश में आपने माहौल बनाया और कामयाब भी हुए, हम लोग इधर बैठे हुए हैं दिल्ली में। उस समय 140 डालर प्रति बैरल था तेल का भाव, वह 70 पर आ गया, तब भी आप वही पैसा वसूल कर रहे हैं जनता से। यह आपकी नीति है?

जिस तरह से आज देश चल रहा है, वह सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आज जीजी यहां बैठी हुई हैं। जीजी, बताइये आप, किस

(श्री अशोक गहलोत)

तरह से गांव की सरपंच नहीं बन सकती थीं महिलाएं। कटारिया साहब, आप तो जानते हैं। एससी-एसटी, ओबीसी की महिलाएं गांव की सरपंच बन जाएं, गांव वाले सहन ही नहीं कर सकते थे। मेयर, प्रधान, प्रमुख, सरपंच, महिला आरक्षण- यह सोच थी, यह सोच थी संविधान में अमेंडमेंट करने की। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय में भी जो संशोधन किये 1976 में, आज मोदी जी भी तारीफ करते हैं। नाम नहीं लेते इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने एटमी एक्सपेरिमेंट किया पोकरण में, मोदी जी को उसका कोई गर्व नहीं है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश आजाद करवा दिया, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिये। 96000 कर्नल, जनरल, मेजर, सैनिकों के हथियार सरेंडर करवा दिये, कोई गर्व नहीं है मोदी जी को। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया। जान दे दी और जान देने से पहले कहा, मेरी जान भी जा सकती है। मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक-एक कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा। यह कहा था। क्या मोदी जी ने 6 साल के अंदर एक बार भी इंदिरा गांधी का नाम लिया? किसी रूप में ले लेते। इमरजेंसी लगाई उन्होंने, आप आलोचना कर देते। कोई दिक्कत नहीं थी। उपलब्धि बता देते। हां, यह बात ठीक कह रहे हैं इमरजेंसी की गलती की उनकी दृष्टि के अंदर। उन्होंने काम क्या किया? कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, चार स्लोगन दिए उन्होंने। विनोबा भावे जो जय जगत की बात करते थे, गांधीवादी थे। उन्होंने कहा यह अनुशासन पर्व है देश के अंदर। आप आलोचना कर सकते हैं किसी की भी। उस समय क्या हुआ? आपने ड्यूटी बताई है। मोदी जी ने चुनाव जीतकर जिक्र किया सैंट्रल हाल के अंदर, बड़ी शिक्षा दी सबको और इम्प्रेस किया सबको कि इस प्रकार ड्यूटी भी समझें आप लोग। जैसे कैनेडी ने कहा था अमेरिका के अंदर, आप मांगें मत सरकार से, आप सरकार को क्या दे सकते हैं, यह बताएं। यही बात मोदी जी ने कही कि कर्तव्य भी कोई चीज होती है। अच्छी बात कही, पर संविधान में आ चुकीं ड्यूटीज। वह कौन लाया था? इंदिरा गांधी जी लाई थीं। आरटीआई कौन लेकर आया? फंडामेंटल राइट में भी रखा उसे और एक्ट भी बनाया। वाजपेयी जी ने उसका जिक्र किया था।

मैं कहना चाहूंगा आपको कि संविधान की धज्जियां उड़ाने का अधिकार किसी को नहीं है। आज तो हमें तकलीफ भी हो रही है। मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा। पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी के होते हुए आज प्रेसीडेंट फार्म

(श्री अशोक गहलोत)

आफ गवर्नमेंट क्यों लगने लग गया देश के अंदर। मोदी, मोदी, मोदी, मोदी, ठीक है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि आप सबके नेता हैं। आज माहौल ऐसा क्यों है कि मोदी, मोदी, मोदी हो रहा है। पता नहीं उसके बाद में मोदी है तो मुमकिन है। चिंता यह है। मोदी है तो मुमकिन, यह चिंता है, क्योंकि सारे काम वे बिना-पूछे करते हैं। न पार्टी में, न नेताओं को, न मार्गदर्शक मंडल, सवाल ही नहीं है उसको पूछने का तो। वे तो घर ही बैठे हुए हैं। नोटबंदी, रात को भाइयों और बहनों, कल सुबह से हजार रुपये, पांच सौ रुपये, मुझे याद भी नहीं है, सब नोट बंद कर दिए गये हैं। मजाक है क्या यह? लाइनें लग गयीं देश भर में। 150 लोग मर गये हैं इसके अंदर। कोई सम्भालने वाला है उनके घर वालों को? देश की व्यवस्था बर्बाद हो गयी है। सब काम-धंधे ठप पड़ रहे हैं। यह स्थिति बन गयी है।

संविधान के अंदर राज्यों और केन्द्रों के जो सम्बन्ध है, आप तो जानते हैं, फाइनेंस कमीशन बनता है। वह तय करता है कि क्या हिस्सा मिलेगा राज्यों को। आपको मालूम है क्या हुआ अभी। एक तो उन्होंने कह दिया रक्षा मंत्रालय इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अलग से आप व्यवस्था कर दें, स्पेशल व्यवस्था कर दें। पहले क्या होता था कि टैक्स होता था माननीय कटारिया साहब, आप तो विद्वान हैं, 42 प्रतिशत टैक्स जो है, उसका हिस्सा फिर राज्यों में बंटता था और बाकी पैसे के हिस्से में आपके सीएसएस स्कीमें और ग्रांट मिलती है राज्यों को। उसको कम कर दिया गया है। 90:10 था, 60:40 था, 70:30 था। अब काम अपने हिसाब से देखो। इसे चेंज कर दिया और जो पूरा रेवेन्यू होगा, उसमें से आपको फंड निकालना पड़ेगा। पहले इसमें से टैक्स के अलावा निकालते थे। उसको आपने चेंज कर दिया अभी। राज़ी-मशविरा भी नहीं किया। रेवेन्यू कम हो रहा है जीएसटी से। जीएसटी की कहानी बड़ी अजीब है। मैं तो सीएम था उस वक्त, मोदी जी भी सीएम थे। कितना हल्ला किया इन्होंने, कोई जीएसटी नहीं आना चाहिए। देश को बर्बाद कर देगा यह। देश को बर्बाद कर रहा था तो फिर आपने इसे क्यों अपनाया? हमने कहा, वन नेशन, वन टैक्स होगा। आपने चार-चार स्लैब बना दीं। जैसे पण्डित नेहरू ने देश को सम्बोधित किया था जब मुल्क 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ था, उसी तरह मोदी जी ने रात को बारह बजे सैंट्रल हाल में ज्वाइंट सैशन बुलाया और उसी ढंग से वह शो किया गया- जीएसटी आ गया,

(श्री अशोक गहलोत)

जीएसटी आ गया। रिफार्म था वह। अब वे चार टैक्स लगा दिये, दरें लागू नहीं कीं। 150-200 सर्कूलर निकल चुके हैं अब तक। आज रेवेन्यू कम हो गयी है। चिंता मुझे इसलिए है कि रेवेन्यू कम होने से हमें भी कम मिलने लगा है पैसा। मैं मोदी जी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आप सिर्फ राजस्थान का कम करेंगे, वह आप्शन मैंने खुला रखा है। मालूम पड़ेगा कि अन्याय किया है तो मैं वह आरोप भी लगाऊंगा बाद में। आज मैं कह रहा हूं कि अगर सब राज्यों में कम पैसा मिलेगा तो राज्यों में विकास कैसे होगा? फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह मेरा निवेदन है आपसे।

आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, जीडीपी आपकी घटती जा रही है। आप फार्मूला बदल देते हों उसे लेकर, ठीक है, देश जानता है। एनएसएसओ के आंकड़े छुपाये जाते हैं। एनएसएसओ इतना महत्वपूर्ण संगठन है। उसके आंकड़ों के आधार पर आगे योजना बनती है विभागों में, राज्यों में, देश में। चुनाव के समय आपने वे आंकड़े छिपा दिये। उसके चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। बेरोजगारी बड़ी फैली हुई थी उस समय। चालीस सालों के इतिहास में सबसे बड़ी बेरोजगारी थी। चुनाव के समय वे आंकड़े छिपाये और आश्चर्य की बात है। आश्चर्य नहीं, मोदी के साहस की बात है, चुनाव खतम हो गये, चुनाव जीते और वहीं एनएसएसओ के आंकड़े देश को बता दिये कि हां, यह 7 परसेंट, 40 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी हमारे यहां है। यह साहस की बात होती है और यह हरेक में नहीं होता है जो आपके नेता में है।

अब मोदी जी, केन्द्र सरकार जिस प्रकार डिस-इन्वेस्टमेंट कर रही है शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, कंटेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया, भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन और एयर इण्डिया का कि पैसा किसी तरह से आये और अर्थव्यवस्था में काम चलाएं जो हमें तकलीफ हो रही है। क्या यह बेचने से काम चलेगा? कांस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है, ड्यूटी में लिखा हुआ है कि आप अपनी सम्पत्तियों को सुरक्षित रखें। स्पीकर महोदय, पुराने स्पीकर साहब बैठे हुए हैं यहां पर, सुरक्षित रखें, ये सुरक्षित रख रहे हैं? पहले सरकार थी वाजपेयी जी की, तब भी हमारे उदयपुर की अशोका होटल, माननीय नेता, प्रतिपक्ष महोदय, मैं आपकी कांस्टीट्यूएंसी की बात कर रहा हूं, मेरे खयाल से वह होटल आपके क्षेत्र में आती है, अशोका होटल उदयपुर वाली। हिन्दुस्तान जिंक, बिक गये, कौड़ियों के भाव बिक गये। कहते हैं कि स्क्रेप की जो कीमत

(श्री अशोक गहलोत)

थी हिन्दुस्तान जिंक में, उस कीमत पर खरीदने वाले ने खरीद ली। वहां करोड़ों-अरबों रुपये का स्क्रेप पड़ा हुआ था उसकी कीमत पर पूरी हिन्दुस्तान जिंक बेच दी। बताइये आप, क्या ठाठ है, क्या कर सकते हो आप। अब यह एयर इण्डिया बिकेगी, पता नहीं किसको बिकेगी, किसके हाथ में जाएगी, भगवान जाने। लक्ष्मीविलास का नाम अशोक होटल था। वह अशोका ग्रुप की थी। मैं तो मंत्री रहा हूं सिविल एवियेशन का दिल्ली में तो मुझे मालूम है, वह सिविल एवियेशन में आती थी। बेच दिया उसको।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मेनिफेस्टो में आया था, राहुल गांधी लेकर आये थे क्योंकि सोशल जस्टिस होना चाहिए, बहुत बड़ा गैप बढ़ रहा है और न्याय योजना लाये थे जिसकी आप लोगों ने मजाक उड़ाई। हम लोग कामयाब नहीं हो पाये इसलिए आप लोग कुछ भी कह सकते हो। पर, 72 हजार, 5-6 हजार रुपये दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर एक साल के, न्याय योजना में 72 हजार देने का वादा किया गया था कि कम से कम लोग गरीबी रेखा से ऊपर आएं और उनको सहायता मिल सके। आप थोड़ा मोदी जी से बात कर लीजिये, कर लूंगा मैं, बिना उनके सम्भावना नहीं।

एन.आर.सी. एक्ट, अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इश्यू है देश के लिए क्योंकि हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं और हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति समान रूप में उसका सेंस है तो आप बताइये कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने साथ में मानीटरिंग की है। आपकी पार्टी की सरकार ने बहुत भयंकर काम वहां पर किया और 3-4 साल लगाकर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये तथा 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया। कैम्प बना दिये रहने के लिए। एक भाई सेना में, आर्मी के अन्दर है वह तो है हिन्दुस्तान में, एक भाई सीआईएसएफ में है उसको कर दिया। उसमें नम्बर आ गया, पति-पत्नी का अलग-अलग नम्बर आ गया। आपकी पार्टी के लोग आसाम में हल्ला कर रहे हैं, कांग्रेस वाले तो कर ही रहे हैं कि यह बकवास है, इसमें कुछ दम नहीं है। अब एनआरसी को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। पिक एण्ड चूज करो, कोई आपको लगे कि यह आदमी बाहर से आया हुआ है तो उसको पकड़ो और बाहर भेज दो। अगर सर्वे करवाओगे तो करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करोगे और आपकी आसाम वाली दुर्गति पूरे देश में होगी। यह मैं आपको पहले ही आगाह करना चाहता हूं, आप इस बात को समझ लें। मोदी है तो मुमकिन है, बार-बार आ जाता है मेरे सामने।

(श्री अशोक गहलोत)

आर.टी.आई., डाक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने शानदार एक्ट बनाया देश के अन्दर और दुनिया में उसकी वाहवाही हुई। अब बताइये, उस एक्ट को कमजोर करने का क्या तुक था। मुझे पीड़ा इसलिए है कि 1998 से 2003 में जब मैं मुख्य मंत्री था, शायद आपको तो मालूम होगा आप तो सदन में थे, उस वक्त वह एक्ट मैं यहां लेकर आया था हाउस मे। हमने पहले छोटे रूप में पास किया था और वह बाद में शानदार एक्ट बन गया। उस एक्ट को आप लोगों ने कमजोर कर दिया और आप लोग कोई बोल नहीं रहे हो क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।

चुनाव आयोग के तो क्या ठाठ हैं। चुनाव आयोग जब मर्जी आये जब चुनाव करा सकता है, आगे-पीछे कर सकता है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। हद तो तब कर दी कि पहले चुनाव हिमाचल के कराये पहले वाले चुनाव आयोग ने। अमेरिका में थे, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे जिनको चार महीने पहले बुलाया गया कि नहीं, चुनाव तो गुजरात के साथ करवाएंगे। नये इलेक्शन कमिश्नर आये हमारे माननीय और इन्होंने अलग-अलग कर दिये, झारखण्ड को अलग कर दिया और अब झारखण्ड के चुनाव पांच चरण में होगा जो छोटा स्टेट है। हद तो तब हो गयी है कि राज्य सभा के दो चुनाव, कटारिया साहब, आप बताइये, आपने तो बहुत लम्बा अरसा राजनीति में बिताया है, दो चुनाव किसी राज्य में राज्य सभा के होने हैं तो क्या यह सम्भव है कि दो अलग-अलग करवाओ? क्या बात कर रहे हो, यह कभी सोचा आपने? यह संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं? दो ही चुनाव और कोई बोला ही नहीं। अलग-अलग, दोनों जीत जाए बीजेपी। एक सीट के लिए अहमद पटेल वाला मामला देखा ही है आपने कि अमित शाह खुद आकर वहां रात को ढाई बजे तक जम गये। कितनी दुर्गति हुई इन सबकी। जीते हम और दुर्गति उनकी हुई। उसके बाद में सबक ले लिया। दो चुनाव एक साथ नहीं करवाकर अलग-अलग करवा रहे हैं और हिन्दुस्तान के इतिहास में यह कभी नहीं हुआ, तो मोदी है तो मुमकिन है और इसलिए हो गया।

एक संवैधानिक संस्था आर.बी.आई. भी है। आपने 1.76 लाख करोड़ रुपया उनसे रिजर्व फण्ड में से उठा लिया जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ क्योंकि वही मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। आर.एस.एस. विश्वविद्यालय में तो आप सब जगह घुसा ही रहे हो। वह तो आपके आर.एस.एस. के पक्के हैं। देश में राज आपका है, राजेन्द्र राठौड़ का नहीं है,

(श्री अशोक गहलोत)

यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आर.एस.एस. के बैक ग्राउण्ड वाले लोगों का राज है और ये शायद उसमें नहीं आते हैं मेरे खयाल से। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं कहीं? ऐसा नहीं हो कि मैं गलत कह दूं और वहां आपके पार्टी में नम्बर कट जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): रंग में रंग गये हम।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वह तो आप क्या रंग गये, भैरोंसिंह जी शेखावत साहब भी रंग गये थे और उनको भी नेकर पहनकर शाखा में जाना पड़ा। यह कभी देखा नहीं, मैं भी आर.एस.एस. का ही हूं। आप सारी जगह यू.जी.सी. के माध्यम से, यू.जी.सी. को कमजोर करके सारे वाइस चांसलर आपके लगे, सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर आपके लगे। आर.एस.एस. का दबदबा बढ़ रहा है सब शिक्षकों के अन्दर और जो भविष्य की आपकी योजना है मोदी है तो मुमकिन वाली, वह आपकी कामयाब हो रही है, आपकी चाल है।

आप धज्जियां उड़ा रहे हो प्रेस मीडिया की। चौथा स्तम्भ है, बताइये आप। सारे डरे हुए हैं, देश के एडिटर डरे हुए हैं, मालिक डरे हुए हैं कि कब सीबीआई आएगी, कब किसी दिन ईडी आ जाएगी, कब आएगी, कब छापा पड़ जाएगा। इतने दबाव में काम कर रहा है मीडिया। वह चौथा स्तम्भ है और उसके बगैर लोकतंत्र कैसे जिन्दा रह सकता है। हम सब जानते हैं कि ये ऊपर बैठे हुए हैं हमारे साथी और इनकी कितनी चलती है यह उनको पता नहीं है। ये खाली मेहनत करते हैं और आगे जाते ही मामला उलटा हो जाता है वहां पर। यह स्थिति है। मोदी है तो मुमकिन हो रहा है वह भी और कोई मोदी के खिलाफ में बोल नहीं रहा है।

एक्स्ट्रा-कांस्टीट्यूशनल अथोरिटी, कटारिया जी, आपको याद होगा कि इमरजेंसी के अन्दर संजय गांधी के ऊपर आरोप लगते थे कि यह देश में एक्स्ट्रा-कांस्टीट्यूशनल अथोरिटी के रूप में काम कर रहे हैं। वे तो करते थे या नहीं करते, यह तो सब जानते हैं। आप लोगों ने खूब तारीफ की और आपके लिए हीरो बन गये थे संजय गांधी। तुर्कमान गेट से जब अतिक्रमण हटाये तो आपने कहा कि यह अच्छा नेता आया है, आपकी पार्टी के लोग तो वे हैं पर आज आर.एस.एस. एक्स्ट्रा-कांस्टीट्यूशनल अथोरिटी के रूप में काम कर रहा है देश के अन्दर। बिना उनसे पूछे हुए न मंत्री, न मुख्य मंत्री कोई बन सकता है,

(श्री अशोक गहलोत)

मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री बिना उनकी मर्जी के कोई नहीं बन सकता है। आर.एस.एस. के प्रचारक रह चुके मोदी जी, प्रचारक ही हैं और मुख्य मंत्री बन गये, आज प्रधान मंत्री बन गये। कृपा करके दो बातें मैं कहूंगा कि एक तो गांधी जी को आपने, आर.एस.एस. पर बैन लगाया सरदार पटेल ने और उनको आपने बाद में अपना लिया। आपने माफी मांगी कि अब हम कभी राजनीति में भाग नहीं लेंगे, कल्चरल संगठन रहेगा हमारा। सरदार पटेल की मूर्ति आपने बनाई, अच्छी बात है। कम से कम देश से एक माफी मांगें प्रधान मंत्री कि उस वक्त हम समझ नहीं पाये थे महात्मा गांधी और पटेल को। सब जगह वे नाम नहीं लेते थे, इनको मानते नहीं थे और अब इनको मानने लगे हैं। दिल से मानते हैं, दिमाग से मानते हैं, खाली दिमाग से ही नहीं मानते हैं। आर.एस.एस. और बीजेपी, कृपा करके इनको आप सलाह दे दें, मेरी सलाह वे मानें या नहीं मानें यह उनकी मर्जी, पर अब इनको अपने आपको कन्वर्ट करना चाहिए था राजनीतिक दल के अन्दर। लिखकर दिया वह अलग बात थी, पर अब आप राज देश में कर रहे हो, आर.एस.एस. वाले कर रहे हो राज। आपको लिखकर देना चाहिए कि आरएसएस खुद कन्वर्ट हो जाए, सरकार के अंदर। नाम था बीजेपी का, कोई जमाने में कहा था, आपके विद्वान, क्या नाम था उनका, आरएसएस के थे न, नहीं-नहीं, मैं गोलवलकर जी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं विद्वान पुरुष का नाम, जिसने कहा था, वाजपेयी जी मुखौटा है हमारा। अब नाम याद आ जाएगा इनको, गोविन्दाचार्य, गोविन्दाचार्य ने कहा था वाजपेयी जी मुखौटा है हमारा, पीछे कोई और है तो मैं कहूंगा कृपा करके अब आप राजनीतिक दल में कन्वर्ट कर दो आरएसएस को, खुलकर मैदान में आओ, फिर देखो क्या होता है, अभी क्या होता है। मुकाबला करेंगे आपसे हम लोग। हिन्दुत्व की विचारधारा आपकी है, दुनिया जानती है आपको और आप किस हैसियत से, किस नैतिकता से बात करते हो संविधान की। इसको आप मानते ही नहीं हो, इसमें लिखा हुआ था सर्व धर्म समभाव। आप हिन्दुत्व राष्ट्र की बात कर रहे हो, फिर क्यों आप इसकी बात कर रहे हो? क्या हो रहा है देश के अंदर, यह स्थिति है देश के अन्दर, आप बताइए कि आप मानते ही नहीं हो संविधान को, मजबूरी में आप अपना रहे हो इसको, क्योंकि अभी चुनाव जीतकर आना है। जब तक आपकी चलेगी, चलते जाएंगे, जब संविधान की जरूरत नहीं रहेगी तो आप फिर मोदी है तो मुमकिन हो जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

यह खतरा है देश को, बुरी चिंता है। मैं तो नहीं रहूंगा उस वक्त में, पता नहीं क्या होगा, पर यह चिंता हम सबको होनी चाहिए। डिग्निटी आफ नेशन, यूनिटी आफ नेशन, मोदी जी ने दुनिया भर में घूम-घूमकर, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये डिग्निटी है नेशन की, राष्ट्र की डिग्निटी बता रहे हैं वे। एक दिन नारा दे रहे हैं मोदीजी डिग्निटी आफ नेशन, यूनिटी आफ नेशन, यह एकता की बात है तो मोदीजी दुनिया भर में जाकर कहते हैं कि हमारे मुल्क में 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। आप बताइए, मोदी है तो मुमकिन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की सीमा मैं समझता हूं। मैं माफी चाहता हूं कि कुछ ज्यादा बोल गया हूं। अभी तक भी मेरे पास एक-दो घंटे का मैटर और है, दो घंटे बोल सकता हूं, स्थिति है मेरी, पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा, हम लोग शपथ लेकर आए हैं संविधान की, संविधान के अंतर्गत शपथ लेकर आए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संविधान की मूल भावनाओं को, उसमें ड्यूटीज भी आती हैं, उनको हम लोग कैसे अपनाएं और किस रूप में हम लोग आगे बढ़ें, तब जाकर मैं समझता हूं कुछ हो सकता है। हमारी कांशियस, नये रूप में सामने आए और देश हित में बातें सोचने लग जाएं।

एक और बात मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा मुझे किसी ने अच्छा लिखकर दिया है कोट, क्या कोई संस्था बनाई भी है आपने, बताओ। एक संस्था कोई बनाई है 6 साल के अंदर? संस्था को बर्बाद तो आप कर रहे हो, बनाई है या नहीं बनाई है, आप तो ये बताओ देश को, क्योंकि पं. नेहरू की बनाई हुई संस्थाएं थीं, उन्हें ध्वस्त कर सकते हो आप, आपने क्या बनाई है।

"हवाओं से पूछो तूने चिराग बुझाएं तो बहुत हैं, कोई एक दीया जलाकर तो बता, दोस्त तूने नफरत तो बहुत फैलाई है एक बार मुहब्बत करके तो दिखा"।

यह मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में कभी काम्प्रोमाइज नहीं किया है। शेखावत साहब थे, आप लोग जानते हो, कोई काम्प्रोमाइज राजनीति के अंदर नहीं, पर शाम को मिले शादी ब्याह के अंदर, हंसी मजाक करते, बातचीत करते थे, रिश्ते थे। आपकी जो नेता हैं पूर्व मुख्य मंत्री महोदया, उनके आने के बाद आप लोगों ने रिश्ते तोड़ दिए, व्यवहार तोड़ दिया था, जो चैनल

(श्री अशोक गहलोत)

चलता था नम्बर एक और एक बार शेखावत साहब ने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि मैं, मेरे जीते जी कभी कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने दूंगा, मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। मैंने वापस जवाब दिया शेखावत साहब, आपके जीते जी, कांग्रेस सत्ता में आएगी, भगवान आपको लम्बी उम्र दे और आप मेरे शासन को देखो, याद होगा आपको। सरकार बनी और संयोग से मैं मुख्य मंत्री बन गया, मैंने यही कोट उनके सामने, जैसे आप बैठे हो, वहां बैठे थे भैरोंसिंहजी, मैंने कहा आपने एक बात कही थी, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपको भगवान लम्बी उम्र दे और आप शासन देखो। तो, मोदीजी हो या शेखावत साहब हो, अभी कल कह रहे थे खाचरियावासजी, मोदीजी मिलते हैं तो गले लगाते हैं मुझे। यह हमारा सौभाग्य है, पूरे प्रदेश की जनता गले लगा रही है, तभी मैं मुख्य मंत्री बन पाया हूं, यह कह सकता हूं मैं आपको। ऐसे नहीं बना, बच्चे-बच्चे की जुबान पर था, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता में यही बात थी, मुख्य मंत्री अगला अशोक गहलोत बनना चाहिए, इसलिए बना हूं, याद रखें आप। इसलिए संबंधों की बात अलग होती है, राजनीतिक विचारधारा की बात अलग होती है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है आप किसी से भी, लड़ाई है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रमों की, कौन देश के लिए क्या कर सकता है। वह लड़ाई जारी रहेगी, धन्यवाद। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, यह गलत परम्परा है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, आप सदस्य हैं, सदस्य की गरिमा को बनाए रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि संविधान के संबंध में और कर्तव्यों के संबंध में अच्छी चर्चा हुई, चर्चा में थोड़ी बहुत उत्तेजना भी आई, कुछ अनप्लीजेंट त्रुटि मुझे भी करनी पड़ी। मैं आशा करता हूं कि समय-समय पर जब कभी भी इस तरह की चर्चा हो, हम उस चर्चा की गरिमा और सदन की गरिमा बनाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। कर्तव्य की जब बात करें तो मैं अपेक्षा करूंगा कि जितने भी माननीय सदस्य हैं, वे संविधान के कर्तव्य के प्रति, राजस्थान की जनता को जागरूक करें, जिससे आने वाले समय मे नागरिक अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझकर देश और प्रदेश के निर्माण में भागीदारी निभाएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने सार्थक चर्चा में भाग लिया। माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना है कि

(श्री अध्यक्ष)

इस कार्यवाही के बाद अभी एक डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन होगा, उसमें आप सब आमंत्रित हैं। आज की कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व राष्ट्र गान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंगा
विन्ध्य-हिमाचल, यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय-जय-जय-जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.58 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)